षष्ठम् माला, खंड I, अंक 4, मंगलवार, 29 मार्च, 1977/ 8 चैत्र, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. I, No. 4, Tuesday, March 29, 1977/Chaitra 8, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

[खंड I में अंक 1 से 11 तक है / Vol. I. Contains Nos. 1 to 11]

सत्यमेव जयते

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

182 एल० एस०—1

विषय-सूची/CONTENTS

नं० 4--मंगलवार, 29 मार्च, 1977/8 चैत्र, 1899 (शक)।

No. 4—Tuesday, March 29, 1977/Chaitra 8, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
शपथ लेने वाले सदस्य	Members Sworn	1
मंत्रियों का परिचय	Introduction of Ministers . . .	1
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	*Re.* Motion for Adjournment . .	2
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	2—4
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	4-5
रेल बजट 1977-78 तथा लेखानुदानों की मांगें (रेल). 1977,78	Railway Budget, 1977-78 and Demands for Grants on Account (Railways), 1977-78	5—23
श्री समरेन्द्र कुंडु	Shri S. Kundu	11-12
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	12—14
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	14-15
श्री सुब्रामण्यम स्वामी	Shri Subramaniam Swamy . .	15-16
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	16
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Shri Shibban Lal Saksena . .	16-17
श्री आर० मोहनरंगम	Shri R. Mohanarangam . . .	17
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . . .	17-18
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram .	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	19—23
सभापति तालिका	Panel of Chairman	17
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक 1977--	Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 1977—	24-25
पुरःस्थापित, विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव	Motions to introduce, consider and pass	
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	24-25
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1976-77--	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1976-77	25
प्रस्तुत तथा पारित की गई	Moved and passed.	
विनियोग (रेल) विधेयक, 1977--	Appropriation (Railways) Bill, 1977—	26-27
पुरः स्थापित विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	Motions to introduce, consider and pass	
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . . .	26-27

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बजट (सामान्य), 1977–78 तथा वर्ष 1977–78 के लिये लेखानुदानों की मांगें	Budget (General), 1977-78 and Demands for Grants on Account, 1977-78 . .	27—40
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	27—30
श्री आर० के० अमीन	Shri R. K. Amin .	35
श्री सोमनाथ चटर्जी .	Shri Somnath Chatterjee	35-36
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . .	37
श्री सुब्रमण्यम स्वामी	Shri Subramaniam Swamy .	37—39
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor .	39-40
स्थगन प्रस्ताव--	Motion for Adjournment—	40—49
जम्मू कश्मीर विधान सभा का विघटन--	Dissolution of Jammu & Kashmir State Legislative Assembly—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	40—42, 48-49
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	42
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	42-43
श्री के० एस० हेंगड़े	Shri K. S. Hegde . .	43-44
श्री अब्दुल अहद	Shri Abdul Ahad	44
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	44-45
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	45-46
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	46
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . . .	46—48
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	47-48
श्रीमती अकबर जहां बेगम	Shrimati Akbar Jahan Begum .	48
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . . .	48

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 29 मार्च, 1977/8 चैत्र, 1899 (शक)

Tuesday, March 29, 1977/Chaitra 8, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

शपथ लेने वाले सदस्य

MEMBERS SWORN

चौधरी चरणसिंह (बागपत)

श्री श्यामसुन्दर गुप्ता (बाड़)

श्री सिधरामेश्वर स्वामी बसैय्या (कोप्पल)

श्री होर्पिगं स्टोन लिंगडोह (शिलांग)

मंत्रियों का परिचय

INTRODUCTION OF MINISTERS

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सभा से मंत्री परिषद के निम्नलिखित सदस्यों का परिचय कराता हूं।

श्री चरणसिंह

श्री लाल कृष्ण अडवानी

श्री शांति भूषण

श्री एच० एम० पटेल

श्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक

श्री राजनारायण

श्री विजयानन्द पटनायक

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्थगत प्रस्ताव के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं ?

डा० कर्ण सिंह : इस पर यथाशीघ्र चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अनुमति दे दी है। लेकिन सभा चाहती है कि सरकार कुछ कहे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रस्ताव के बारे में बोलने के लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा। बजट मांगें पास होने के बाद 5 अथवा 5.30 बजे शाम हम चर्चा शुरू करेंगे। जरूरत पड़े तो हम कुछ देर तक भी बैठेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्घोषणा, आदेश, तथा उड़ीसा के बारे में प्रतिवेदन, उड़ीसा तथा गुजरात के बारे में उद्घोषणायें तथा तमिलनाडु नगरीय भूमि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 923 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उक्त उद्घोंषणा के खण्ड (ग) के उखण्ड (ञ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 924(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रपति को सड़ीसा के राज्यपाल के दिनांक 13 दिसम्बर, 1976 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8/77]

(2) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में 16 दिसम्बर, 1976 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 29.दिसम्बर, 1976 के भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 957(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(3) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1976 जो उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 944(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-9/77]

(4) दिनांक 5 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 868 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अन्तर्गत 3 दिसम्बर, 1971 को और संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (3) के अन्तर्गत 25 जून, 1975 को की गई आपात स्थिति की उद्घोषणाओं के लागू रहने की अवधि के लिए तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाहियों आदि के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 31 के निलम्बन सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-10/77]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके निदेश के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के बाद आता है । मैंने श्री टी० एन० कौल के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ लिया है । मैं सरकार से सूचना प्राप्त करने के बाद देखूंगा कि इसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं । । मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा । सम्भवत: हमें कल तक तथ्यों का पता लग जायेगा और फिर मैं इस पर अवश्य ध्यान दूंगा (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रतीक्षा करूंगा ।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा यूनाईटेड इंडिया, फायर एन्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 870 (ङ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा० सां० नि० 877 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा० सां० नि० 13 (ङ) जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 14 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-11/77]

(3) युनाईटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उक्त कम्पनी के कार्यकरण सम्बन्धी सरकार की समीक्षा को, सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-12/77]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं पांचवी लोक सभा के अठारहवें सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये रूप में तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1976

(2) विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक 1976

(3) विनियोग (संख्या 7) विधेयक, 1976

---

*प्रतिवेदन 4 नवम्बर, 1976 को सभा पटल पर रखा गया।

(4) गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

(5) पांडिचेरी विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1976

महासचिव : मैं पांचवीं लोक सभा के अठारहवें सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1976

(2) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक 1976

(3) संविधान (42वां संशोधन) विधेयक, 1976

रेल बजट, 1977–78 तथा लेखानुदानों की मांगें (रेल), 1977–78

RAILWAY BUDGET, 1977-78 AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT RAILWAY, 1977-78

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। इस पर कुछ कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : रेल बजट तथा सामान्य बजट पर चर्चा के लिये कितना समय नियत किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : इसे आज ही पास करना है। रेल बजट के लिये दो घंटे निर्धारित किये गये हैं। आम बजट मई में पेश किया जायगा। मांगों को आज ही पास किया जाना है ताकि बजट को कल राज्य सभा को भेजा जा सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम (पालानी): इतनी जल्दबाजी से काम नहीं किया जाना चाहिये। हम सब कुछ आज पास नहीं कर सकते। हम उड़ीसा बजट के बारे में कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे बचट के लिये हमने दो घंटे का समय रखा है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा सारे विश्व में की गई लेकिन सदन को इस बारे में सूचना नहीं दी गई। यह औचित्य का प्रश्न तो है ही, साथ ही सभा के विशेषाधिकार हनन का मामला भी है। आपने कल कहा था कि इस बारे में सदन को कल बताया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि आप इस विषय को सामान्य चर्चा के समय उठाएं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : स्पष्टीकरण सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सरकार ने सदन से बाहर इसकी घोषणा की है परन्तु सदन के अन्दर इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूबनगर) : परम्परा यह है कि जब भी सत्र चल रहा हो, और किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा की जानी हो, तो प्रेस से पूर्व सदन को इस बारे में सूचित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मन्त्री को इस बारे में कुछ कहना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कार्यवाही जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई है। मुझे विधि मन्त्री ने सलाह दी थी कि उद्घोषणा को वहां की विधान सभा के समक्ष रखा जाना है न कि संसद् के समक्ष। मैं इसकी आगे जांच कर रहा हूं. . . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनंतनाग) : प्रधान मन्त्री को पता होना चाहिए कि विधान सभा भंग हो चुकी है।

श्री के० मलकप्ता (दुमकुर) : प्रधान मन्त्री असंवैधानिक बात कह रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : विधि मन्त्रालय द्वारा दी गई सलाह यदि संगत नहीं है, तो मैं इसकी जांच करूंगा। यदि यह सलाह गलत है, तो मैं इसमें संशोधन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई है। अत: उद्घोषणा को विधान सभा में नहीं रखा जा सकता। प्रधान मन्त्री ने ठीक ही बताया है कि वह इसकी जांच करेंगे।

अब कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

रेल बजट की लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	नीति निरनुमोदन प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1.	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
"	2.	"	फरवरी, 1974 में रेल कर्मचारियों के संघर्ष सम्बन्धी राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा रखी गई रेल कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें मानने में असफलता।	"
"	3.	"	केरल में जहां भारी वर्षा होती है, रेलवे प्लेटफार्मों पर उचित छतों की व्यवस्था करने में असफलता।	"
"	4.	"	खान-पान विभाग के सभी स्थायी कर्मचारियों को स्थायी पदों पर खपाने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
1	5	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर)	सभी रेल कर्मचारियों को, विशेषकर छोटे स्टेशनों पर, उचित आवास जुटाने में असफलता।	राशि घट कर 1 रुपया कर दी जाय
"	6.	"	श्रेणी 2, 3 तथा 4 के कर्मचारियों के और अधिक पदों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता।	"
"	7.	"	भाड़ा प्रणाली में सामाजिक बोझ की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता।	"
"	8.	"	पिछले कुछ महीनों में बार-बार होने वाली दुर्घटनायें रोकने में असफलता।	"
"	9.	"	भविष्य में दुर्घटनायें रोकने के लिये सभी रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता।	"
"	10.	"	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता प्रदान करने में असफलता।	"
"	11.	"	पूर्वोत्तर रेलवेमैन यूनियन को फिर से मान्यता देने में असफलता।	"
"	12.	"	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
"	13.	"	भविष्य निधि तथा उपदान अधिनियमों का क्षेत्राधिकार बढ़ा कर इनको सभी रेल कर्मचारियों पर लागू करने में असफलता।	"

1	2	3	4	5
"	14.	श्रीमती पर्वती कृष्णन (कोयम्बटूर)	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
"	15.	श्री सौगत राय (बैरकपुर)	रेलों में सभी ठेका मजदूरों को विभागीय कर्मचारी बनाने में असफलता।	
"	16.	"	सेयालदह डिवीजन में बनगांव लाइन तथा बुन्डेल-कटवा लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का काम आरम्भ करने में असफलता।	"
"	17.	"	महानगरीय परिवहन परियोजना कलकत्ता का काम तेजी से करने में असफलता।	"
"	18.	"	पूर्व सीमा रेलवे को बड़ी लाइनों में बदलने का काम तेज करने में असफलता जिसके कारण कलकत्ता पत्तन से और को माल यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।	"
4	19.	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) (सांकेतिक)	दक्षिण रेलवे के ओलावक्कोट डिवीजन के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की मांगें मान लेने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए जाएं।
"	20	"	इन्टिग्रल कोच फैक्टरी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों को पुन: सेवा में लेने की आवश्यकता।	"
6	21.	"	प्रत्येक रेल डिब्बे में कण्डक्टर गार्ड की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
"	22.	"	दक्षिण रेलवे में टिकट जांच कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
7	23.	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर)	दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे के मद्रास–विजयवाड़ा सैक्शन का विद्युतीकरण तेज करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं
,,	24.	,,	दक्षिण रेलवे के मद्रास–अरकोनम सैक्शन का विद्युतीकरण तेज करने की आवश्यकता।	,,
14	25.	,,	तिरुचि से तुतिकोरिन तक बड़ी लाइन का निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	26.	,,	एरणाकुलम से कायमकुलम तक बरास्ता एलेपी नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	27.	,,	कुट्टीपुरम और त्रिचूर के बीच बरास्ता-गुरुवयूर नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	28.	,,	मंगलौर और बम्बई के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	29.	,,	तेलीचेरी और मैसूर के बीच बरास्ता कुर्व रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
1	30.	श्री शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज)	विभिन्न रेलवे ज़ोनों में रेलवे अधिकारियों के लिए रेलवे सैलूनों के प्रयोग को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	31.	,,	इलाहाबाद को बम्बई से जोड़ने के के लिये पर्याप्त रेलें उपलब्ध कराने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
1	32.	श्री शिवब्रत लाल सक्सेना (महाराजगंज)	पूर्वोत्तर रेलवे में शाने अवध को कानपुर तक ले जाने और वहां से वापिस लाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं
,,	33.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ से गोरखपुर तथा भटनी से इलाहाबाद तक मीटर गंज लाइन को चौड़ी लाइन में बदलने के कार्य में शीघ्रता लाने में असफलता ।	,,
,,	34.	,,	प्रत्येक रेलवे में एक चपड़ासी की बजाय सचिवालय की भांति रेलों पर चपड़ासियों के पूल बनाने में असफलता ।	,,
,,	35.	,,	अधिकारियों द्वारा चपड़ासियों से घर के काम कराने की प्रथा बन्द करने तथा अधिकारियों के लिए चपड़ासियों की संख्या कम करने में असफलता ।	,,
,,	36.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के सभी प्रथम दर्जे के डिब्बों में 'कोच अटेंडेंट' उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
,,	37.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य रेलवों में डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के साथ भोजनयान लगाने में असफलता ।	,,
,,	38.	,,	गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर तार घर स्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	39.	,,	गोरखपुर रेलवे मुख्यालय जंक्शन पर अच्छी तरह से सजा सजाया प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
,,	41.	श्री शिवव्रत लाल सक्सेना (महाराजगंज)	गोरखपुर रेलवे हैडक्वार्टर जंक्शन पर अच्छी तरह से सजा सजाया द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
,,	41.	,,	गोरखपुर को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के साथ जोड़ने वाली उपयुक्त रेलें उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
,,	42.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में विद्युतीकरण करने में असफलता ।	,,
,,	43.	,,	रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वापस ली गई किश्त को पुनः दिलाने में असफलता ।	,,
,,	44.	,,	हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की घोषणा करने में असफलता ।	,,
14	45.	,,	खुठा, महाराजगंज, मिकलोल, ठंटीबाड़ी को रेल द्वारा गोरखपुर से जोड़ने में असफलता ।	,,

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासार) : मैं रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत करता हूं । काले शासन के बाद रेल मंत्री द्वारा मजदूरों को दी गई राहतों का स्वागत किया जाना चाहिए ताकि हमारा प्रजातंत्र सजीव रहे । जिन श्रमिक नेताओं ने काले शासन का स्वागत नहीं किया था, उनको तंग किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी पदानवति भी की गई । रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि गत 19–20 महीनों में जिन कर्मचारियों को तंग किया गया या जो मजदूर हड़ताल पर थे, उन्हें ड्यूटी पर समझा जाना चाहिए । प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री को इतने बड़े सरकारी उपक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है । आशा है वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे । रेल मंत्री यह सुनिश्चित करें कि मजदूरों को प्रशासन में भाग लेने की योजना को व्यवहारिक रूप दिया जाए ।

रेलवे प्रशासन ने रेल अभिसमय समिति की अधिकांश सिफारिशें नहीं मानी थीं । मेरा अनुरोध है कि ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जानी चाहिए ।

कल विरोधी स ओं ने रेलवे बोर्ड के कार्य की प्रशंसा की थी। वस्तुतः रेलवे का कार्यकरण मजदूरों की कठिन मेहनत के फलस्वरूप सफल हुआ है। अतः हमें इन मजदूरों की प्रशंसा करनी चाहिए।

प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री ने वर्ष 1974 की हड़ताल के दौरान बर्खास्त या मुअत्तिल रेलवे कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने का निर्णय दिया है।

गत 20 माह के दौरान कई समितियां गठित की गई थी। अब उन समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हम यह दिखाना चाहते हैं कि जनता सरकार लोगों की सेवा के लिए कटिबद्ध है।

जेल में मेरे साथ बहुत से अत्याचार हुए। मैं दो महीने तक आंसुका के अन्तर्गत जेल में रहा। इस काले शासन में हम एक परिवार के गुलाम रहे। अब कांग्रेस के सदस्यों को सदन में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने गलतियां की थी।

मजदूर संघ नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज को भी जेल में यातनाएं दी गई। रेल मंत्री ने कहा है कि वह पिछड़े राज्यों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देंगे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उड़ीसा में 80 प्रतिशत लोग गरीबी से नीचे के स्तर पर रह रहे हैं।

कई वर्षों तक हमें मूर्ख बनाए रखा गया। चुनावों से थोड़ा समय पहले कई जगह शिलान्यास किया गया। बंसपानी से जाखुपुरा तक रेल लाईन बिछाने के लिए उद्घाटन समारोह किया गया। परन्तु इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। आशा है कि यह लाईन 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

रूपसा–तालाबंद लाईन को चौड़ी लाईन में नहीं बदला गया है और न ही इसे खड़गपुर–बम्बई लाईन से जोड़ा गया है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक वृहत योजना बनायी जाए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस पिछड़े राज्य में कौन सी लाईन को प्राथमिकता मिलेगी और संसाधनों का आवंटन क्या होगा।

हालांकि दक्षिण-पूर्व रेलवे लाईनें उड़ीसा से होकर जाती हैं लेकिन फिर भी मुख्यालय कहीं और है। मैं चाहता हूं कि मुख्यालय भी उड़ीसा में स्थापित किया जाए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम उप कार्यालय की स्थापना वहां अवश्य की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आशा है कि हम आपसी सहयोग से प्रगति करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें और यदि वे अपने दल की ओर से पर्चियां भेजें तो मुझे सुविधा होगी।

श्री टी० ए० पाई (उडीपी) : सबसे पहले तो मैं गत दो वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा किए गए शानदार कार्य की सराहना करता हूं। रेलवे संगठन को बिना अनुशासन के मजबूत नहीं बनाया जा सकता। मैं उन कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान कठिन परिश्रम किया है।

मुझे पता है कि रेलवे मजदूर संघ संगठित नहीं है । अब सरकार के पास अवसर है कि इस संघ को संगठित बनाए तथा उनमें अनुशासन की भावना पैदा करे। हमारी अर्थ व्यवस्था अधिकांशत: इस बात पर निर्भर करती है कि रेलवे विभाग अपना कार्य किस प्रकार करता है । और यदि रेलवे का कोई भाग अव्यवस्थित हो जाये तो उससे अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा । मैं यह नहीं कहता कि अनुशासन थोपा जाये किन्तु बिना अनुशासन के रेलवे विभाग अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पायेगा । रेल संगठन बहुत व्यापक हो गया है और इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि समय-सारिणी भी तैयार करनी हो तो वह दिल्ली में ही की जाती है । न कि विभिन्न मुख्यालयों में । आखिर महा प्रबन्धक भी तो समान रूप से योग्य होते हैं । इस संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मंत्री महोदय को विकेन्द्रीकरण की समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए । रेलवे में कुछ बातें प्रथा का रूप ले चुकी हैं । देश में हमेशा तकनीकी विशेषज्ञों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है न कि सामान्य प्रशासकों को । रेलवे में योग्य विद्युत इंजीनियर तथा दूर-संचार इंजीनियर हैं । किन्तु उनमें से किसी को भी रेलवे बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाता । इन लोगों को भी इन पदों पर पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

हमारे पास 5 लाख माल डिब्बे हैं । इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य केवल यहां बैठकर नहीं किया जा सकता । समूचे विश्व में माल-डिब्बों के आने जाने का सही हिसाब रखा जाता है कि कौन सा डिब्बा कहां है, क्यों है आदि । मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करें ।

हम देखते हैं कि गत दो वर्षों में कई बातों में पर्याप्त सुधार हुआ है । रेलवे में समान-सूची बहुत अधिक बढ़ गई है । समान-सूची की समस्या के बारे में एक समिति स्थापित की गई थी जिसने पहले ही अपनी सिफारिश दे दी है । आशा है कि रेलवे में समान-सूची प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । ताकि हम कम संसाधनों से अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें ।

यात्री गाड़ियां तो समय पर चल रही । हैं मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माल गाड़ियां भी ठीक समय पर चलें । क्योंकि इनसे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है ।

रेलवे ने अतिरिक्त भुगतान पर शीघ्र माल पहुंचाने की प्रणाली आरम्भ की है । पता नहीं यह प्रणाली कहां तक सफल हुई है । मैं चाहता हूं कि फलों सब्जियों और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे तेज गाड़ियां चलाए ताकि इन वस्तुओं के मूल्य कम हो सकें ।

जहां तक नई रेल लाइनों को बिछाने का सम्बन्ध है, इन वर्षों में इन पर भारी व्यय हुआ है । मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि कोंकण रेलवे की ओर भी ध्यान दिया जायेगा । इसे रत्नगिरी पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि सीधे मंगलौर तक जाना चाहिए । इस पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और अब इस को बिछाने का काम शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए ।

भाड़ा प्रभार तथा किराया निर्धारित करने की ओर पुनः विचार किया जाना चाहिए । नई। रेल लाइनों पर भाड़ा तथा किराया निर्धारित करने के लिए पुरानी पद्धति नहीं अपनाई जानी चाहिए ।

रेल टिकट के आरक्षण के बारे में भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । संसद की एक समिति ने सिफारिश की कि रेल टिकट का आरक्षण एक वर्ष पूर्व किया जा सकता है । यह अजीब सी बात लगती है ।

[श्री टी० ए० पाई]

रेलवे में अनुशासन कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध तथा एक संघ का होना आदि महत्वपूर्ण बातें हैं। रेलवे तथा राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे में केवल एक ही संघ हो।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सभी उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों को बहाली की घोषणा का सभी रेल कर्मचारियों ने स्वागत किया है। किन्तु मैं मंत्री जी को बता दूं कि रेलवे में कर्मचारियों के बारे में इतनी बुरी स्थिति है कि उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे कल चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष का एक तार मिला। वहां अभी भी 13 मजदूर संघ के उच्च नेता आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द हैं। वे पिछले 20 महीनों से नजरबन्द ह। उन्होंने कई बार भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी, सलाहकार समिति तथा राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन भेजा है, किन्तु राजनीतिक आधार पर बदले की भावना से उन लोगों ने उन्हें मुक्त नहीं किया है।

इतनी ही नहीं, बड़ी संख्या में नेताओं को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत भी नजरबन्द किया गया है। इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन नेताओं का अपने क्षेत्रों में पूरी इज्जत तथा प्रभुत्व है, इसीलिये स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने इन्हें नजरबन्द किया।

कर्मचारियों को 1974 की रेल हड़ताल के ही दौरान उत्पीड़ित नहीं किया गया अपितु आपात स्थिति के दौरान भी 2,000 रेल कर्मचारी नौकरी से हटाये गए हैं। कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से परेशान किया गया। किसी का स्थानान्तरण किया गया किसी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया और किसी की पदअवनति की गयी, श्री टी० ए० पाई अनुशासन की बात कर रहे थे, नौकरशाही का यही अनुशासन रहा है। वे तो केवल एक ही प्रकार का अनुशासन जानते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरे समक्ष आकर बाधा न पहुंचायें यदि वे बाधा पहुंचायेंगे तो सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचेगी। यदि वे कुछ कहना चाहें तो वे इसके लिए पर्चो भेज सकते हैं।

श्री बसंत साठे :—हमारी ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री समर मुखर्जी : मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि नौकरशाही के हाथों जो कर्मचारी उत्पीड़ित हुए है उन्हें न्याय दिया जाय। उनके मामलों पर पुर्नविचार किया जाय और उन्हें सेवा में वापस लिया जाय। कांग्रेसी सरकार का अनुशासन तो यही रहा है कि लोगों को जबरदस्ती बेरोजगार किया जाय, उन्हें भूखमरी का सामना करने दिया जाय। जैसा कि आज कारखानों के कर्मचारों के साथ किया जाता है। यदि कर्मकार किसी बात पर रोष प्रकट करते हैं तो यह समझा जाता है कि उनमें अनुशासन नहीं है यदि कर्मचारी संगठित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे अव्यवस्था फैला रहे है। अनुशासन दो प्रकार का होता है— आत्म अनुशासन तथा नौकरशाही अनुशासन। आत्म अनुशासन नौकरहशाही अनुशासन से बेहतर होता है।

हम रेल मंत्री को रेल प्रशासन में समुचित परिवर्तन करने के लिए पूरा समय देते है बशर्ते कि वह 'रेल प्रशासन के समुचित कार्यक्रम के लिए रेल कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग लें।

गतवर्ष अखिल भारतीय लोकोरनिंग कर्मचारी संघ के साथ रेलवे ने एक समझौता किया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे में 31 दिसम्बर, 1976 से कार्य काल

के दस घण्टे होंगे। किन्तु यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे। उन्हीं के द्वारा तैयार आंकड़ों से मैं उनके उस बड़े-बड़े दावों का खंडन करना आवश्यक समझता हूं।

बार-बार एक बात कही गई है कि रेल बजट लाभ का बजट है। यह रेलवे में बढ़ाई गई क्षमता तथा अनुशासन का संकेत है।

उनका दावा है कि आपात स्थिति के पश्चात् पहली बार गाड़ियां ठीक समय पर चली हैं और उससे पहले गाड़ियां कभी ठीक समय पर नहीं चलती थीं। रेलवे को लाभ हुआ है वह केवल क्षमता के ही कारण नहीं हुआ। वास्तविकता तो यह है कि यह लाभ किराया बढ़ाये जाने के कारण हुआ है। क्योंकि रेल हड़ताल के दौरान 1500 करोड़ रुपये की हानि हुई है और उसको पूरा करने के लिए किरायो में तेजी से वृद्धि करनी पड़ी। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस के रूप में 40 करोड़ देने की बजाय 1500 करोड़ रुपये की हानि उठानी उचित समझा।

आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि उच्च श्रेणियों से रेलवे की आय में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि दूसरी तथा निम्न श्रेणी से रेलवे की आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उच्च श्रेणी से कम आय इसलिए हुई है कि प्रथम श्रेणी में श्री वसंत साठे जैसे लोग यात्रा करते है जो कि रेलवे को कुछ भी नहीं देते ..... **(व्यवधान)**।

गत वर्ष सरकार ने बजट में 2200 लाख टन माल लाने ले जाने का लक्ष्य रखा था जबकि 2600 लाख टन माल इधर-उधर ले जाया गया। 1965–66 में रेलवे ने 2120 लाख मीट्रिक टन माल ढ़ोया। अब यह घटकर 2060 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

1965 में माल डिब्बों का उत्पादन 33,000 था जोकि अब घटकर 11,000 हो गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन से पता चलता है कि कोई भी नया काम नहीं किया गया।

चेम्बूर-मंखुर्द लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। कांग्रेसी सरकार इस कार्य में विलम्ब करती रहीं और आज इसी कारण इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गया है। रेलवे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आशा है रेल मंत्री भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। स्टाल होल्डर्स ऐसोशियेशन से पैसा खाने का प्रयास किया गया है। इस बारे में टेप रिकार्डिड साक्ष्य दे सकता हूं। ..... **(व्यवधान)**।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): वह निराधार आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह निराधार आरोप हैं तो, वह इसका जबाव दे सकते हैं। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। .... **(व्यवधान)**।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्त में मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह चेम्बूर मंखुर्द रेल लाइन को यथाशीघ्र बड़ी लाइन में बदल दें । साथ ही बम्बई में तीव्र यातायात प्रणाली का विकास किया जाये ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag): During the last two years the performance of the Railways has been so well that the whole country can feel proud of it (*interruption*). This could not have been possible without the active cooperation of the employees and they deserve to be congratulated for it.

I would like to remind the new Railway Minister about the conspiracy hatched by certain elements in 1974. to disrupt the functioning of the railways. But the Railway employees have frustrated their conspiracy and I am very grateful to the employees for this cooperation.

Certain baseless allegations have been made against me by Shri Swamy. If the Member can prove even one of the charges that he has levelled, I am prepared to resign. Otherwise the member himself should resign.

It is not correct to say that the increase in railway earnings has been due to the increase in fares. To a large extent it is due to the effort made to stop ticketless travelling. About 50,00,000 people used to travel without tickets. This has now been reduced considerably.

There is a wrong impression that we have been hard to the employees during the emergency. The fact is that we have withdrawn cases against all the employees who had participated in the strike of 1974 except those against whom there were charges of sabotage, violence etc. Working hours should be reduced from 10 to 8 hours. It is a geniuine demand which must be accepted. We should also ensure need based minimum wage after undertaking job evaluation.

श्री एस० कुंद : हमें सभा में मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने चाहियें ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जब तक कार्य मूल्यांकन (जाब इवेल्युएशन) नहीं कर लिया जाता, एच० एम० टी०; एच० ए० एल० आदि केन्द्रीय उपक्रमों में वेतन की समानता लायी जानी चाहिये । छः मास के भीतर यदि मूल्य सूचकांक 4 प्वाइंट बढ़ जाये तो महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाये, वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा उसके आगे के वर्षों के लिए बोनस दिया जाये और सभी नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को स्थायी बनाया जाये । इन मांगों को मानने के लिये आप वचनबद्ध हैं ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमें सदस्य महोदय की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सचिवालय से इस शिकायत को दूर करने के लिए कहूंगा ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The Hon'ble Minister should try to limit the expenditure also. The production should also be maintained at the 1976 level. The Jammu—Udhampur railway line should be completed as the survey has already been undertaken. Work on the Kajigund—Baramula rail line should also be completed so that the people of that region may also feel themselves a part of this Great Country.

Shri Shibban Lal Saxena (Maharajganj): Sir, we have invested more than one thousand crores of rupees in Railways, but we are not able to earn much profit. The Railway Board is proving to be a white elephant, so it is better to do away with it. We must economise wherever it is possible. I have been repeatedly demanding a rail link from Gorakhpur to Thunthibari via Khotha, Maharajganj and Nichlol, so that this backward area may be developed. It is necessary from military point of view also. China has its railway line right up to the Himalayan passage. We should also have access to our border positions by rail.

There is lot of corruption in railways. Stringent measures may be adopted to root out this evil.

श्री आर० मोहनरंगम (चिंगलपट्टू) : सबसे पहले मैं 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान निलम्बित सभी रेल कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करने के लिए रेल मंत्री को अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक और अपने नेता एम० जी० आर० की ओर से बधाई देता हूं। यह बड़ा साहसपूर्ण कदम है।

मंत्री जी का कहना है कि जब सीट आरक्षण के मामले में कदाचार समाप्त हो गये हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को टिकट लेने के लिए अभी भी लम्बी-लम्बी कतारें लगानी पड़ती हैं। एग्मोर स्टेशन पर एक उपरि पुल भी बनाया जाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मुकाबले में रेलवे कर्मचारियों को अभी भी बहुत कम वेतन मिलता है। उनका वेतन भी उन्हीं के बराबर किया जाये। चिंगलपुर के स्थान पर भी उपरि पुल बनाया जाये। यह स्थान राजमार्ग के भी निकट है।

विकसित देशों में रेलों को सार्वजनिक हित की सेवा माना जाता है न कि लाभ कमाने का साधन। परन्तु हमारे देश में तो उसे कर और राजस्व का साधन माना जाता है। रेलों में अभी भी बंधुआ मज़दूरी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल गाड़ियां चलाने पर ध्यान ही नहीं दिया जाता।

रेल कर्मचारियों को उनके नाप की वर्दियां नहीं दी जातीं। रेलवे प्रशासन में काफी सुधार किया जाना जरूरी है।

सभापति तालिका

PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य नामनिर्दिष्ट करता हूं :

1. श्री धीरेन्द्रनाथ बसु
2. श्री त्रिदिब चौधरी
3. कुमारी आभा मैती
4. श्री एस० डी० पाटिल
5. श्री एम० सत्यनारायण राव
6. श्री द्वारिकानाथ तिवारी

रेल बजट, 1977-78 तथा लेखानुदानों की मांग (रेल) 1977-78

RAILWAY BUDGET, 1977-78 AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (RAILWAYS) 1977-78

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): I welcome the new Railway Minister. He is a socialist and I hope he will implement his socialistic policies in the railway administration. It is a strange thing that we always talk of employer-employees relations or labour relations but we never care for passenger's amenities.

[Shri D. N. Tiwari.]

We have to take into account the small facilities which can be provided without incurring much expenditure. Approach roads have been neglected. The condition of platforms at most of the Stations is also not good. One of the most important thing is the behaviour of railway employees. They should be instructed to behave friendly, politely and humbly.

Incidents of pilferage have become a common thing. It all happens with the connivance of the railway employees. Ticketless travelling should also be checked. Habitual offenders should be given stringent punishment. According to the present rules one has to pay Rs. 10 as penalty for obtaining a ticket in the running train. I think it is too harsh a punishment.

In Sonepur there was D.T.S. system. Now it has been done away with D.T.S. office has been converted into a Transport Division. In the absence of a D.T.S. office, the people of the area are facing lot of difficulties. I request you to study the problems of this area.

We can solve our problems only by working with a revolutionary zeal.

Shri Manohar Lal (Kanpur): Sir, we the new M.Ps. should also be given an opportunity to speak.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : बजट भाषण में पैरा 22 जोड़े जाने के लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह बहुत अच्छा हुआ कि सभी निकाले गये कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। रेलवे में 3 मई, 1974 की स्थिति पुनः लाई जानी चाहिये।

कुछ कर्मचारियों को जबरन स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पदावनति कर दी गई। उनकी सेवाओं में व्यवधान समाप्त किया जाना चाहिये और पुनः उनके मूल्य पद उन्हें दिये जायें। पुरानी सरकार के प्रति वफादार कर्मचारियों को कई प्रकार की छूट दी गई। उनके बच्चों की नमितक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया। आप सभी ज्यादतियों की ओर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

परन्तु इसके साथ-साथ कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। रेल कर्मचारी भी इस बात को समझें कि रेलवे की समूची सम्पत्ति राष्ट्र की है, रेल भवन या रेलवे बोर्ड की नहीं।

कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसे तुरन्त हटाया जाये।

रेल बजट भाषण में वही बातें हैं जो 'आपात स्थिति की घोषणा के बाद रेलवे में सुधार नामक नोट में प्रकाशित हो चुकी है।

कर्मचारियों की पदोन्नति पर जो प्रतिबन्ध लगा है उसे भी हटाया जाये। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी तरक्की दी जाये। जितने रिक्त स्थान हैं उन्हें भरा जाये।

आजकल रेलवे बोर्ड में अफसरों की भरमार है। उस पर बहुत व्यय हो रहा है। इतने अधिक अधिकारियों की क्या जरुरत है। यदि जरुरत हो तो एक समिति नियुक्त की जा सकती है। रेलवे बोर्ड पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये व्यय होता है और बोर्ड का आकार निरन्तर बढ़ रहा है। इसलिए रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये।

न केवल कर्मचारियों को ही सताया गया, अपितु कुछ नई लाइनें भी बन्द कर दी गई और कुछ गाड़ियां भी रद्द कर दी गई। बन्द की गई लाइनों को पुनः चालू किया जाना चाहिय और अनावश्यक रूप से रद्द की गई गाड़ियों को भी सेवा के हित में पुनः चलाया जाना चाहिये। उदाहरण के

तौर पर, दक्षिण रेलवे में नीडमंगल र से मनरगुडी तक 9 मील लम्बी लाइन बनाने का प्रस्ताव अनावश्यक रूप से छोड़ दिया गया। यह सेवा वहां पर कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये आवश्यक है। इन्हें पुनः चालू किया जाये ताकि स्थानीय लोगों की शिकायतें दूर की जा सकें।

तिरुनेवेल्लि-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम लाइन के लिये नियत धनराशि को बहुत कम कर दिया गया है। नई रेलवे लाइनों के बिछाये जाने के लिये नियत राशि भी बहुत कम कर दी गई है। मद्रास सेन्ट्रल से विजयवाडा के बीच लाइन के विद्युतीकरण के लिये भी राशि कम की गई है। मद्रास सेन्ट्रल-आरकोनम लाइन को धनाभाव के कारण रोक दिया गया है।

मद्रास सिटी के बारे में महानगरीय योजना का केवल अध्ययन ही किया गया है और कुछ नहीं। यह योजना कब पूरी होगी? मद्रास में उपनगरीय रेल सेवा और तंग सड़कों के कारण सड़क परिवहन भी अपर्याप्त है।

जहां तक उत्पादन यूनिटों का सम्बन्ध है। वे अपनी क्षमता का आधा उत्पादन कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है। सभा मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till two of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.03 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the Clock.

[**श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए**
SHRI TRIDIB CHAUDHURI *in the Chair*]

रेल बजट, 1977–78 तथा लेखानुदानों की मांगें (रेल) 1977–78

RAILWAY BUDGET, 1977-78 AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (RAILWAYS), 1977-78

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : सर्व प्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लिये कतिपय ऐसी परिसीमाएं हैं जिनसे बंधे रहते हुए यह मिनी बजट प्रस्तुत किया गया है। यह पूर्ण रेल बजट नहीं है, केवल लेखानुदान बजट है। इन परिसीमाओं के कारण समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करना सम्भव नहीं है। अतः इनके अन्तर्गत ही कुछ प्रस्ताव आपके समक्ष रखे गये हैं। नीति सम्बन्धी जो मामले उठाये गये हैं उनपर भी इस समय पर्याप्त रुप से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछली सरकार से विरासत में मिली कुछ बातों को हमें दूर करना है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हमारे लिये कोई सुदृढ़ नीतियां बनाना सम्भव नहीं है जिनके लिये कि हम वचनबद्ध हैं।

सदन के दोनों पक्षों ने इस वक्तव्य का स्वागत किया है कि 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण निलम्बित या बर्खास्त किये गये सभी रेल कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के बहाल किया

[प्रो० मधु दण्डवते]

जायेगा। रेलवे बोर्ड के साथ मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद हमने सम्बन्धित प्राधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि बहाली का सारा काम 6 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाना चाहिये। उसके बाद रेलों पर एक भी उत्पीड़ित कर्मचारी नहीं होगा। ऐसा में आश्वासन देता हूं।

1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से हटाये गये कर्मचारियों का व्यौरा इस प्रकार है :|

सेवा से बर्खास्त किये गये स्थायी कर्मचारी . . .	16,898
सभा के भीतर और सभा से बाहर लगातार दबाव पड़ने के कारण वापस लिये गये कर्मचारियों की संख्या	16,271
उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें अभी वापस लेना है . .	627
जितने मामलों में कर्मचारियों ने न्यायालय में मुकदमें दायर किये .	310

मेरे इस आश्वासन के बाद कि सभी कर्मचारी बहाल कर दिये जायेंगे, मुझे विश्वास है कि कर्मचारी अपने मामले न्यायालयों से वापस ले लेंगे।

अभी भी निलम्बित कर्मचारियों की संख्या 53 है। सेवा से बर्खास्त किये गये आकस्मिक श्रमिकों की संख्या 24,570 थी। इनमें से 5,161 श्रमिकों को वापस लेना अभी शेष है। स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ आकस्मिक श्रमिकों को भी वापस सेवा में लिया जायेगा। बहाल किये गये सभी रेलवे कर्मचारियों की वरीयता बरकरार रखी जायेगी और सेवा में व्यवधान को माफ कर दिया जायेगा।

चर्चा के दौरान बहुत से मित्रों ने ठोस और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। जब से हमने शासन का भार संम्भाला है तबसे अल्प-विकसित क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की ओर हमारा मंत्रालय ध्यान दे रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार काम करेंगे गांधी जी का एक सिद्धान्त यह था कि शहरी और ग्रामीण भारत के बीच असन्तुलन नहीं होना चाहिये। अतः पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जायेगा। यह आधारभूत ढांचा रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अतः सभी पिछड़े क्षेत्रों में निर्माणाधीन रेल लाइनों को हम शीघ्र पूरा करेंगे।

यदि कोई वित्तीय कठिनाइयां हैं तो हम सम्बन्धित प्राधिकारियों और संस्थाओं के साथ मामले पर विचार करेंगे। संसाधन कैसे जुटायें जायें, इस बारे में हमने पहले से ही अपना विचार बना लिया है।

कोकंण रेल लाइन के बारे में उल्लेख किया गया है। जहां तक इस लाइन का सम्बन्ध है, यह केवल महाराष्ट्र राज्य, जहां से मैं आया हूं, को ही प्रभावित नहीं करती। यह महाराष्ट्र से शुरू होकर गोआ, मैसूर और केरल तक जायेगी। यह तमिलनाडु के कुछ भाग को भी छूती है और यदि यह लाइन बनाई जाती है तो इससे देश में एकता में वृद्धि होगी। यहां तक जम्मू और काश्मीर राज्य का सम्बन्ध है, हम इसे भी देश का एक पिछड़ा भाग समझेंगे। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर सीमा जैसे क्षेत्रों को भी पिछड़ा क्षेत्र समझा जायेगा और उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

चैम्बूर मंकुड लाइन का भी उल्लेख किया गया है। किन्हीं कठिनाइयों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। ऐसी सभी परियोजनाओं को बिना विलम्ब शुरू किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय कठिनाइयां हैं तो उन पर हम काबू पाने का प्रयास करेंगे। सभी परियोजनाओं पर कार्यवाही उनके गुणावगुणों के आधार पर की जायेगी।

रेलवे बोर्ड के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। मैं सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि हम रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की विस्तृत जांच करेंगे। रेलवे बोर्ड के कार्यकरण के बारे में लगातार शिकायतों को ध्यान में रखकर हम इसकी विस्तृत जांच करेंगे और यदि यह पाया गया कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है तो हम उसमें निस्सन्देह आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

भूतपूर्व रेल मंत्री ने कुछ आरोप लगाए हैं जिनमें कहा गया है कि देश में आर्थिक स्थिति खराब थी और कुछ लोग भूखों मर रहे थे, जबकि रेलवे कर्मचारियों के नेता कर्मचारियों और किसानों के लिये और भी भुखमरी की हालत पैदा कर के अव्यवस्था फैलाना चाहते थे और उसी कारण 1974 की रेल हड़ताल हुई थी। परन्तु हाल के आम चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकार किया कि वैध कार्मिक संघ गतिविधियों में भाग लेने वाले देशमें अव्यवस्था लाना चाहते थे और देश को अन्धकारमय बनाना चाहते थे। लोग ऐसा नहीं समझते थे अन्यथा रेल हड़ताल चलाने वाले बहुत से सदस्य अब यहां पर न होते।

हमसे पूछा गया है कि क्या हम बोनस की मांग को या रेल कर्मचारियों के लिये कम दरों पर अनाज उपलब्ध कराने की मांग को स्वीकार करेंगे? जहां तक बोनस के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह प्रश्न भूतपूर्व सरकार ने जटल बना दिया है। उसने समूची बोनस नीति को ही बदल दिया था। हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि चूंकि उसने देश के लिये एक राष्ट्रीय बोनस नीति बनाई है, हमें इसे बदलने के लिये पहले विधान बनाना होगा। हम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे और हम देश के संसाधनों का भी अनुमान लगायेंगे। हम बोनस को अनुग्रहपूर्वक संदाय नहीं मानते अपितु इसे 'आस्थगित मंजूरी' मानते हैं। हम बोनस के समूचे प्रश्न पर विचार करने और पूर्व नीति को बदलने के लिये वचनबद्ध हैं।

जहां तक नई लाइनों के निर्माण और रेलवे प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, हम सभी रचनात्मक सुझावों पर गहराई से विचार करेंगे और उन्हें लागू करने का प्रयास करेंगे।

कहा गया है कि रेलवे में अभी भी बंधुआ मजदूरी प्रचलित है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हम उद्योग में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिये वचनबद्ध हैं और हमारा यह सतत प्रयास होगा कि बंधुआ मजदूरी पूरी तरह समाप्त हो।

जहां तक छंटनी किये गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में क्या किया जायेगा यह बात हमने पहले ही स्पष्ट कर दी है। 'वफादार' कर्मचारियों को कोई अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गई है, परन्तु हम बदले की कार्यवाही करने का कोई इरादा नहीं रखते। हमें तो केवल यह कहना है कि भविष्य में हम हड़तालियों के स्थान पर ऐसे 'ब्लंकी' लोगों को नहीं रखेंगे और हम उन्हें वेतनवृद्धि नहीं देंगे।

यह आम धारणा है कि रेलों पर भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। रेलों में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आचार्य कृपालानी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। हम यह

सुनिश्चित करने के लिये पूरा प्रयास करेंगे कि आचार्य कृपलानी समिति की, जिसने ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है, महत्वपूर्ण सिफारिशों को कारगर ढंग से लागू किया जाये और हम रेल उद्योग में भ्रष्टाचार की समस्या को हल करेंगे ।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि रेल कर्मचारियों ने न केवल रेलवे के संसाधन जुटायें हैं अपितु उन्होंने देश में रेलों के संचलन में हाथ बटाया है और देश की अर्थ व्यवस्था को स्थिर बनाने में सहयोग दिया है । यदि कुछ त्रुटि रह गई है तो हम कार्मिक संघ तंत्र के सहयोग से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे । हम डंडे के ज़ोर पर उसका हल नहीं निकालेंगे बल्कि देश में कार्मिक संघों के स्वैच्छिक सहयोग से उसे हल करेंगे ।

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : कृपया जबरदस्ती रिटायर किये कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाये । उत्पीड़न के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये ।

श्री मधु दण्डवते : रेल हड़ताल के दौरान, कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, कुछ को बर्खास्त किया गया और कुछ को रिटायर होने पर मजबूर किया गया । अन्तिम श्रेणी के कर्मचारियों के मामले भी उत्पीड़न के मामले समझे जायेंगे और उन्हें वापस सेवा में लिया जायगा ।

श्री हेनरी आस्टिन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिन लाइनों के लिये सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, उन पर काम शुरू किया जायगा । इस सम्बन्ध में मुझे विशेषकर को[illegible]ण लाइन का उल्लेख करना है ।

श्री मधु दण्डवते : जिन मामलों में सर्वेक्षण किया जा चुका है, परन्तु किन्हीं कारणों से निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, उन मामलों में जहां ससाधन उपलब्ध हैं, वे काम शुरू किये जायेंगे । यदि संसाधनों सम्बन्धी कठिनाइयां भी होंगी तो भी हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

श्री जे० रामेश्वर राव : मैं रेल मंत्री का ध्यान बीबीनगर–नाडुकुडी लाईन की ओर दिलाना चाहता हूं । इसके निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । इसे शीघ्रता से आरम्भ करके पूरा किया जाये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : रेल कर्मचारियों को न केवल बर्खास्त ही किया है उनके तबादले कर दिये गये हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं । ऐसी अनेक कार्रवाइयां की गई हैं । क्या 1974 की हड़ताल के समय लागू किये गये सभी दण्डात्मक आदेश वापिस लिये जायेंगे ?

श्री मधु दण्डवते : इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जायेगा ।

उसभापति महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लियें रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा रेलों के सम्बन्ध में वर्ष 1977–78 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands for Grants on account for the year 1977-78 in respect of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड	84,24,000
2.	विविध व्यय	4,05,33,000
3.	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान	15,56,000
4.	संचालन व्यय—प्रशासन	52,79,80,000
5.	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	221,48,94,000
6.	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	112,91,45,000
7.	संचालन-व्यय—परिचालन-ईंधन	109,28,16,000
8.	संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	36,53,76,000
9.	संचालन व्यय—विविध व्यय	19,58,56,000
10.	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	19,10,53,000
11.	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	46,66,67,000
11क.	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	13,33,33,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिए अंशदान	6,02,13,000
13.	चालू लाइन निर्माण—(राजस्व)	2,99,95,000
14.	नयी लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	17,27,44,000
15.	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	4,23,27,15,000
16.	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	12,80,32,000
21.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्रा सुविधा निधि में विनियोग	3,07,61,000
22.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और यात्रा सुविधा निधि	1,76,33,000

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1977

APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE ON ACCOUNT BILL, 1977

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977-78 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची 1, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची 1, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, Schedule 1, clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1976-77

सभापति द्वारा रेलवे की वर्ष 1976-77 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Supplementary Demands for Grants in respect of Railways for the year 1976-77 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3.	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान . . .	16,40,000
7.	संचालन-व्यय--परिचालन (ईंधन) . . .	2,88,46,000
8.	संचालन-व्यय--परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर) .	3,53,50,000
9.	संचालन-व्यय--विधि व्यय	2,00,87,000
10.	संचालन-व्यय:--कर्मचारी कल्याण .	79,29,000
11क.	संचालन-व्यय--पेंशन निधि में विनियोग . .	5,00,00,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिए अंशदान . . .	3,70,10,000
14.	नयी लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	3,00,26,000
15.	चालू लाइन निर्माण--पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	43,17,16,000
16.	पेंशन प्रभार--पेंशन निधि . . .	12,63,85,000
18.	विकास निधि में विनियोग . .	15,70,80,000
19.	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग . . .	10,97,70,000
21.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग .	83,28,000

विनियोग (रेल) विधेयक, 1977

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1977

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) । मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि नि.धे निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, the schedule, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

बजट (सामान्य) 1977–78 तथा वर्ष 1977–78 के लिये लेखानुदानों की मांगें

BUDGET (GENERAL), 1977-78 AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1977-78

श्री सी० सुब्रह्मण्यम (पालानी) : मेरे 25 वर्ष के संसदीय जीवन काल में आज मैं पहली बार एक प्रतिपक्षी दल के सदस्य के रूप में बोल रहा हूं । मैं प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं । चुनाव से पहले अनेक प्रकार की बातें कही जा रही थीं, जैसे कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे आदि । चुनाव के शान्तिपूर्ण होने और देश में लोकतन्त्र के कार्यकरण के लिये मैं देश बासियों को बधाई देता हूं । भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जिस ढ़ंग से अपनी पराजय स्वीकार की है उसके लिये वह प्रशंसा की पात्र हैं । **(व्यवधान)**

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमें इस चुनाव के परिणाम पर ध्यान से विचार करना होगा । देश के दक्षिणी भाग ने अपना मत एक विशेष प्रकार से व्यक्त किया है । इसका विशेष महत्व है । क्या यह कहा जा सकता है कि गैर हिन्दी भाषी लोगों के निर्णय से हमारा कोई संबंध नहीं है । मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्हें दक्षिणी राज्यों के 17 करोड़ लोगों के निर्णय पर ध्यान देना होगा ।

मुझे कुछ अरुचिकर बातें भी कहनी हैं । जनता पार्टी के तीन सदस्य जो तमिलनाडु से चुने गये है वे जनता पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़कर नहीं आये हैं । वे संगठन कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में खड़े हुए थे । यदि वे जनता पार्टी के प्रतियाशी के रूप में चुनाव लड़ते तो वे कभी नहीं जीत सकते । जनता पार्टी के माननीय सदस्य जैसे श्री मधु लिमये, श्री जार्ज फर्नेन्डीज आदि ने अपने राज्यों में चुनाव न लड़कर अन्य राज्यों से चुनाव लड़ा है । क्या ये अपने लोगों के समक्ष खड़े नहीं हो सकते थे ?

मैं वित्त मंत्री को उन के पहले बजट के लिये बधाई देता है । वह वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं ; वैसे तो हमारे नये प्रधान मंत्री को वित्त मंत्री के पद पर कार्य करने का अनुभव है ।

इस समय न केवल हमारे देश में अपितु विश्व की अर्थ व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में एक प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है। विश्व व्यापी स्तर पर अनेक प्रश्नों पर विचार हो रहा है। समूचे विश्व के लिये उचित मुद्रा व्यवस्था को बनाने के लिये प्रयत्न हो रहे हैं। हमें विकासशील देशों के हितों की रक्षा का ध्यान करना होगा। विकसित देश अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं ताकि वे छोटे और विकासशील देश का शोषण कर सके।

आज मुद्रास्फीती की समस्या सभी देशों के लिये एक जटिल समस्या है। उस के साथ बेकारी की समस्या भी है। हमें इन समस्याओं पर निरन्तर विचार करते हुए आगे बढ़ना है। विश्व के सभी देशों के लिये एक नई अर्थव्यवस्था बनायी जानी चाहिये। विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच की खाई को समाप्त करना होगा। हमारा देश इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हमें अपने देश की उपलब्धियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिये। देश ने जो प्रगति की है वह राष्ट्र की प्रगति है। हमें उस पर गर्व होना चाहिये। हमारे देश के संकट की स्थिति में प्रगति की है। वित्त मंत्री को उन उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहिये। इस से नये सदस्यों को अर्थ व्यवस्था की वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाता।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने बहुमुखी प्रगति की है। मुद्रास्फीति पर रोक लगा दी गई है। उत्पादन में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में 1975-76 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है।

देश के भुगतान सन्तुलन में सन्तोषजनक सुधार हुआ है। हमारी विदेशी मुद्रा की जमा राशियों में वृद्धि हुई है। अनाज का एक बढ़ा सुरक्षित भंडार जमा है। इस प्रकार देश बहुत सुविधाजनक स्थिति में है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार बीच में न टोकें। हमें इस प्रकार समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार सरकार अब अच्छी स्थिति में है। यह जैसा चाहे निर्णय कर सकती है। अब मैं कृषि के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुझे इस मंत्रालय से सम्बधित रहने का भी सौभाग्य प्राप्त था। हरित क्रान्ति का शुभारम्भ मैंने ही किया था। कृषि के मामले में देश ने बहुत प्रगति की है। अब सरकार को इस के और विकास के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिये। कृषि के क्षेत्र में एक आवश्यक वस्तु अच्छे बीज हैं। हमने राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की और हमें गर्व है कि हम ने बड़ी मात्रा में सुधरे हुए बीजों का वितरण किया है। अब हम इनका निर्यात भी कर रहे हैं।

देश में उवर्रकों का उत्पादन और खपत बढ़ी है। बैंकों ने किसानों की सहायता की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले गये है। अब तक 45 ऐसे बैंक खोले जा चुके हैं। हमें किसानों को ऋण उपलब्ध करने की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाना होगा।

इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सराहनीय प्रगति हुई है। इनका हमारी अर्थ व्यवस्था में विशेष स्थान है। निर्यात के विषय में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

वर्ष 1976–77 के प्रथम नौ महीनों में 3,546 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जोकि वर्ष 1975–76 की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक था। यह काफी महत्वपूर्ण बात है पांचवी योजना के लिये रखे गये 8 प्रतिशत के लक्ष्य से भी अधिक निर्यात हुआ। हमें आशा है कि हमारे नये वित्त मंत्री इस लक्ष्य को मात्र बदलने के लिये नहीं बदलेंगे।

हमारी एक अन्य चमत्कार सफलता है तेल की खोज । इस खोज के परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया है। अब समय आ गया है जब कि इस दिशा में शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव हमारे देश के भुगतान सन्तुलन पर भी अच्छा ही पड़ेगा। इस के परिणामस्वरूप विदेशों में रह रहे भारतीयों को धन लगाने की ओर आकर्षित करने तथा विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना सम्भव हो सकेगा। अब जब कि देश से आपातस्थिति समाप्त कर दी गई है, सरकार को इस संबंध में और अधिक सतर्क रहना होगा। तस्करों को यदि एक बार फिर सिर उठाने का अवसर मिल गया तो फिर उन्हें रोकना काफी कठिन हो जायेगा देश में जहां हमने अनेक क्षेत्रों में जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उन से कई एक समस्यायें भी उठ खड़ी हुई हैं। खाद्यान्नों को इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम हम ने आरम्भ किया, उस के फलस्वरूप मुद्रा सप्लाई आवश्यकता से अधिक हो गई है। अतः जब तक समुचित उपाय नहीं किये जाते, तब तक मुद्रास्फीति बढ़ने का भय बना रहेगा। इसी प्रकार अब समय आ गया है जब कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने में भी किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि 1976–77 के पहले 11 महीनों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राहत की केवल यही बात है कि यह वृद्धि चहुंमुखी नहीं थी। केवल दो अथवा तीन पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा यह पदार्थ हैं खाद्य तेल तथा कपास । यह काफी संतोष की बात है कि अब हम खाद्य तेल तथा कपास का आयात करने की स्थिति में हो गये हैं। भूतपूर्व सरकार द्वारा खाद्य तेल की आयात के लिये समुचित उपाय किये गये और इसका प्रभाव खाद्य तेल की मूल्य स्थिति पर दृष्टिगोचर हो रहा है।

विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की मांग स्थिति तथा उन की पूर्ति स्थिति दोनों पर ही अपेक्षित ध्यान रखा जाना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मूल्यों में वृद्धि को रोका जाये। यह सौभाग्य की बात है कि वस्तुओं के मूल्यों पर काबू पाने के लिये हमारे पास आर्थिक शक्ति तथा संसाधन दोनों ही उपलब्ध हैं तथा यदि इसका समुचित ध्यान रखा जायेगा तो मूल्य स्थिति पर नियंत्रण रख पाना काफी आसान हो जायेगा। मैं इस संबंध में सरकार से यह अनुरोध भी कर देना चाहता हूं कि उसे इस प्रयोजन के लिये दी जाने वाली प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान देने का भरसक प्रयास करना चाहिये। इस के साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि मुद्रा की सप्लाई आवश्यकता से अधिक न हो। गत दो महीनों में वित्तीय अनुशासन के संबंध में थोड़ी सी ढील बरती गई है। वित्त

182 एल० एस०—3.

मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये तथा मुद्रा सप्लाई पर नियंत्रण करने के लिये जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जाये, उसे अविलम्ब किया जाना चाहिये ।

इससे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी का है । गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी दी है । हमने देश के समेकित विकास के लिए एक नया ढांचा बनाया है । इसके अनुसार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों का पुनरुत्थान किया जाना चाहिये । अब समय आ गया है जबकि हमें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए अत्याधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वीकार कर लेना चाहियें । आज देश ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समुचित दक्षता प्राप्त कर ली है ।

एक अन्य बात की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा वह यह है कि अब हमारी सरकार गरीबी की समस्या को हल करने की स्थिति में हैं । हमारे पास जो तकनीकी जन शक्ति है उसका समुचित प्रयोग किया जाना चाहिये । शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा हमें अपना ध्यान प्रमुख रूप से गांवों की ओर देना चाहिये । हमारी इस नवीन विचारधारा को विनोबाजी का अर्शीवाद भी प्राप्त है ।

मैं सरकार के समक्ष यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी को समाप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि देश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किये जायें । हमें स्थानीय संसाधनों का उचित विकास करना चाहियें तथा ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहियें । इस सम्बन्ध में हमने जो कार्यक्रम तैयार किया है उसमें उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं । हम अपने ग्रामीण कार्यक्रमों को गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप ढाल सकते हैं । गत तीन वर्षों से हमारी अर्थ-व्यवस्था को जो ठोस लाभ हुआ है उन के आधार पर हम आगामी वर्षों में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारियों पर प्रभावी ढंग से नियन्त्रण करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ कर सकते हैं । अत्याधिक प्रतिकूल राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों में हमें जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वह सभी देशवासियों के लिए गौरव का विषय है । संक्षेप रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, वह विकास की दिशा में अग्रसर होने की शुरुआत समझी जा सकती है । अब भारत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है तथा इस राष्ट्रीय प्रयास में हम सब को योगदान देना चाहिये ।

सामान्य बजट की लेखानुदान की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	1	श्री पी० रामगोपाल नायडू (चित्तूर)	डेरी विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
10	2	,,	नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्र सरकार के अधीन लेने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	3	श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर)	उर्वरक की कीमतें कम करने की आवश्यकता जिससे कि छोटे किसान भी उर्वरक खरीद सकें।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं।
43	4	,,	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऐसे लोगों को ऋण देने में असफलता जिनके पास संपत्ति नहीं है।	,,
65	5	,,	तिरुपति में एक दूर-दर्शन केन्द्र खोलने की आवश्यकता।	,,
100	6	,,	आन्ध्र प्रदेश में अणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में असफलता।	,,
1	7	श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) :	नारियल बोर्ड की स्थापना के लिये कदम उठाने में असफलता।	राशि को घटा कर 1 रु० कर दिया जाये।
1	8	,,	पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार के होते हुए भी खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकारीकरण में असफलता।	,,
2	9	श्री शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज)	वन अनुसंधान संस्थान को पूर्णतः स्वाशासी बनाने में असफलता	राशि में से 100 रुपए घटा दिया जाए।
2	10	,,	देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाकर और कृषि मूल्यों को आयात मूल्यों के बराबर लाकर सभी प्रकार के अनाजों तथा अन्य कृषि उत्पादों के आयात को समाप्त करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	11	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	गंडक नहर को रोहिन नदी के नीचे साइफन द्वारा फरिन्दा तहसील तक ले जाने और फरिन्दा तहसील में सिंचाई नहरों का जाल फैलाने में असफलता जैसा कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज तहसील में कियागया है।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
2	12	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बत्तूर)	किसानों को उनकी उपज के लिये लाभ दायक मूल्य देने की आवश्यकता।	,,
2	13	,,	तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा केरल, महाराष्ट्र और देश के अन्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
3	14	,,	बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कम्पनियों को तथा एकाधिकारी व्यापारगृहों को मीन उद्योग में प्रवेश करने से रोकने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
,,	15	,,	गरीब मछुओं को बिचौलियों के शोषण से बचाने की दृष्टि से मीन उद्योग को सहकारिता के आधार पर मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	16	,,	अधिक रोजगार उपलब्ध करने की दृष्टि से मीन उद्योग के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	17	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर)	केरल में उतरी वाइनद में पुनः बसाये जा रहे जनजातियों के लिये रोजगार उपलब्ध करने की हेतु पशु फार्म स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
6	18	"	भारतीय खाद्य निगम द्वारा संभाले जाने वाले खाद्यान्नों पर होने वाले ऊपरी खर्च को कम करने की आवश्यकता।	"
10	19	"	जिन क्षत्रों में सूखा पड़ता है उनमें छोटी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को तेज गति से क्रियान्वित करने की आवश्यकता।	"
10	20	"	कावेरी जल विवाद निपटाने में विलम्ब।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।
10	21	"	पुनमपुजा-पन्डियार सिंचाई योजना तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता ताकि तमिलनाडु के कोयम्बतूर तथा अविनाशी ताल्लुके के निरन्तर सूखाग्रस्त क्षत्रों को राहत सुनिश्चित की जा सके।	राशि में से 100 रुपय घटा दिये जायें।
10	22	"	गंगा कावेरी नहर की सभाव्यता की जांच करने की आवश्यकता	"
		(नीति निरनुमोदन)		
11	23	"	भेषज उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति की सिफारिशें लागू करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।
13	24	"	देश भर में सरकारी वितरण प्रणाली का जाल बिछाने की आवश्यकता।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	25	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण के लिये केरल सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश का अनुमोदन करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जायें
			कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ट 12) में 100 रुपये कम किये गये।	
51	26	श्री बशीर अहमद (फतेहपुर)	मीशा नजरबन्दों तथा मृत नजरबन्दों के उत्तराधिकारियों को पुनर्वास अनुदान देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
			कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ट 13) को कम करके 1 रुपया कर दिया जाय।	
66	27	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	सभी श्रमिकों को बोनस का अधिकार पुनः दिलाने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय
,,	28	,,	श्रमिकों पर नियोजकों द्वारा कारखानों की बन्दी, जबरी छुट्टी, छंटनी तथा कार्यभार बढ़ाने जैसे अन्य आक्रमणों को रोकने के लिये कार्यवाही करने में असफलता।	,,
94	29	,,	बड़ नगरों को सुन्दर बनाने के नाम पर गरीबों के रिहायशी ठिकानों को गिराना।	,,
,,	80	,,	तुर्कमान गेट की घटनाओं तथा असफलता अन्धाधुन्ध मकान आदि गिराय जाने के परिणामस्वरूप गोलीबारी की जांच कराने में असफलता।	,,

श्री आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : भूतपूर्व वित्तमंत्री ने अपने लम्बे भाषण के दौरान कुछ राष्ट्रीय उपलब्धियों का जिक्र किया है । राष्ट्रीय उपलब्धियों का जिक्र करके उन्होंने इंदिरा राज की उपलब्धियों का जिक्र किया है । उन्होंने कहा कि 1975–76 के दौरान राष्ट्रीय आय में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है उस वर्ष कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धि आपातकालीन स्थिति के कारण नहीं बल्कि वर्षा के समय पर होने के कारण हुई। लेकिन इस समृद्धि के वर्ष में भी 75 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा। उचित दर की दुकानों के द्वारा भी खाद्यान्न का वितरण न हो सका क्योंकि लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं थे । हम सर्वसाधारण की क्रय क्षमता के बारे में बहुत चिंतित है । थोक मूल्य सूचकांक से सर्वसाधारण की क्रय क्षमता का कोई पता नहीं लगता है । मूल्य सूचकांक में प्रति दिन उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं शामिल की जानी चाहियें।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद भी घाटे की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि हो रही है । मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से नोट अधिक मात्रा में छापे जा रहे हैं और प्रतीत होता है कि इसमें वृद्धि ही होगी यह बढ़ी हुई राशि स्थिर है, गतिमान नहीं। वर्तमान मुद्रास्फिति की स्थिति से मूल्यों में वृद्धि हो सकती है । वित्त मंत्री को मुद्रास्फिति के कारणों का पता लगाना चाहिये और फिर घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिये।

वित्त मंत्री हमें बतायें कि 18 जनवरी के बाद काम चलाऊ सरकार ने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिये कौन कौन से कार्य किये और इन पर कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) :श्री सुब्रह्मण्यम वास्तविक उपलब्धियों के बारे में कह रहे थे । इन्होंने दक्षिण भारत की बात की। ऐसे कहते हुये वे उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच दरार पैदा करना चाहते है। मेरे विचार में दक्षिणी भारत के लोग अपनी गलती को महसूस करेंगे और आने वाले चुनाव में इसमें सुधार करेंगे ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि दक्षिण के कुछ लोगों ने बिहार से चुनाव लड़े। यदि ऐसा है तो उन लोगों के बारे में इन्हें क्या कहना है जिन्हें अपने ही लोगों ने चुनाव में पराजित किया ।

अब तक हुई प्रगति लोगों के कारण हुई है, कांग्रेस के कारण नहीं। लोगों ने इस चुनाव में पिछली सरकार के आतंकमय शासन को तहस-नहस किया है ।

गत 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में गरीब अधिक गरीब तथा अमीर अधिक अमीर बने है। आपातकालीन स्थिति के दौरान हमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मंत्र सिखाया गया है । इस मंत्रोचारण से गरीबी अधिक ही बढ़ी। लोग इस सरकार को पर्याप्त समय देना चाहते है क्योंकि गत इसे 30 वर्ष के कुकर्मों को ठीक करना है और ऐसी नीतियां बनानी है जिससे कि गरीबी दूर हो सके।

कांग्रेस के 30 वर्षीय शासन के परिणामस्वरूप 70 प्रतिशत लोग गरीबी स्तर से नीचे रह रहे है । कितने ही लोग फुटपाथ पर रह रहे है। बेरोजगारों में भी 20 सूत्री कार्यक्रम तथा "गरीबी हटाओ" नारे के बाजूद वृद्धि हुई है ।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

देश कों आगे ही बढ़ना है । इससे पहले सभी कार्यक्रमों ने लोगों के साथ छल किया है। आपातकालीन स्थिति का मूल उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग पर कुठाराघात करना था। उनका बोनस भी गया तथा महगायी भत्ता भी गया ।

जीवन बीमा निगम के लोगों के साथ भी बोनस के मामले में सरकार ने धोखा किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जब जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया था। उन्हें बोनस देने के बजाय सरकार इस सभा में एक विधेयक लायी थी जिसमें कम बोनस की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार जीवन बीमा कर्मचारियों का बोनस वापिस लेकर उनके साथ अन्याय किया गया। जब हमने उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दी तो सरकारी विधि अधिकारियों ने कहा कि सरकार को समझौते के लिए समय चाहिए। एक माह बाद उन्होंने कहा कि कोई समझौता सम्भव नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों पर सीधा हमला किया गया। सरकारी सेवा संघों और संगठनों के उच्च पदाधिकारियों के बिना किसी दोष के बर्खास्त किया गया। उनका दोष केवल यही था कि वे विभिन्न सेवा संगठनों का नेतृत्व कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत काफी संख्या में कर्मचारियों को बिना जांच के बर्खास्त किया गया। आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए रिजर्व बैंक में संघ गतिविधयां समाप्त कर दी गईं। इस प्रकार कर्मचारियों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आशा की जाती है कि वित्त मंत्री भी बर्खास्त और मुअत्तिल कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेल मंत्री वाले सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे। इन कर्मचारियों के साथ शीघ्र ही न्याय किया जाए ।

[श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए]
[SHRI TRIDIB CHAUDHURI *in the Chair*]

लेखा और लेखा परीक्षण को इसलिए अलग किया गया ताकि फिजूलखर्ची की जांच न की जा सके ।

मुझे आशा है कि अगले सत्र के दौरान वित्त मंत्री को मख्य बजट प्रस्ताव पेश कर देने चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि वह ऐसे प्रस्ताव रखेंगे जिससे जनता का भला होगा, बेरोजगारी कम होगी तथा अमीर-गरीब के बीच आय की विषमता कम होगी। कुछ बातों की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि बोनस, मंहगाई भत्ते की अदायगी फिर से शुरू करना, अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करना तथा सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त तथा मुअत्तिल करने के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों को वापिस लेना इत्यादि। मंत्री महोदय को उन सभी परिपत्रों को वापिस लेना चाहिए जिनसे कर्मचारियों के संगठनों तथा संघों के सामान्य विधायी तथा संवैधानिक कार्यकरण में बाधा पड़ती है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने तस्करी की बात की है । हम स्वयं तस्करी के खिलाफ है। मुझे विश्वास है कि सरकार देश के सामान्य कानूनों द्वारा तस्करी रोकने में समर्थ होगी। यदि इनका क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाए तो तस्करी को रोका जा सकता है । इसके लिए हमें जनता का सहयोग प्राप्त रना होगा। कुशल अधिकारियों की सहायता से सही नीतियों को बनाया तथा क्रियान्वित किया जा सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हू ।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : सबसे पहले तो मैं नई सरकार, प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस समय देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है, कीमते भी स्थिर हैं और विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी है ।

सितम्बर, 1974 में थोक मूल्य सूचकांक 331 था जो जून, 1975 में कम होकर 312 तथा अप्रैल, 1976 में 282 हो गया। मैं मानता हूं कि कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम उतने ही है, जितने सितम्बर, 1974 में थे। फसलें भी अच्छी है और वित्त मंत्री चाहें तो मूल्यों में स्थिरता ला सकते हैं।

वर्ष 1975–76 में देश का निर्यात बहुत अच्छा था। वर्ष 1974–75 की तुलना में इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा की स्थिति भी सुदृढ़ हुई। वर्ष 1974 में विदेशों में भारत मूल के व्यक्तियों द्वारा 46 करोड़ रुपया भेजा गया, 1975 में यह बढ़कर 86 करोड़ हो गया और 1976 में प्रति माह 126 करोड़ अर्थात् 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। वित्त मंत्री को यह याद रखना चाहिए कि कठोर प्रवर्तन उपायों से ऐसा सम्भव हुआ।

देश में स्वदेशी मुद्रा की हालत संतोषजनक है । यह सर्वविदित है कि देश की शक्ति मुद्रा की शक्ति के अनुपात से बढ़ती है। अगर देश मजबूत है तो इसका अर्थ है कि देश की मुद्रा की स्थिति भी मजबूत है।

गत दस दिनों से देश के वातावरण में परिवर्तन आया है । उद्योगपति, व्यापारी तथा थोक व्यापारी यह सोचने लग गए हैं कि इस सरकार में वे सुरक्षित है। यह भावना पनप रही है कि आर्थिक अपराधी सजा से बच सकता है । यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है । यदि यह भावना पनपती रही और इसे रोका न गया तो सरकार आर्थिक अपराधियों पर नियन्त्रण नहीं रख सकती । मुद्रा स्फीति रुकी है और मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है । सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह प्रवृत्ति बनी रहे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई–उत्तर पूर्व) : श्री सुब्रह्मण्यम ने एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि उम्मीदवार को उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए जिस क्षेत्र का वह रहने वाला है। मेरे विचार से यह सिद्धान्त तर्कहीन है । संविधान में लिखा गया है कि उम्मीदवार चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वह किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।

श्री सुब्रहमण्यम् ने अत्यन्त आपत्तिजनक बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना आपत्ति के सत्ता सौंप दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई और विकल्प भी था। यदि वे सत्ता सौंपना नहीं चाहते थे तो न सौंपते। इसका परिणाम भी उन्हें पता चल जाता।

हम दोषी व्यक्तियों पर सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाऐंगे। हमें आशंका है कि यदि हम तस्करों की पकड़-धकड़ शुरू कर दें तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जेलों में होंगे क्योंकि उनका धन्धा तस्करी करने का है।

आर्थिक उपलब्धियों की बात पर भी मुझे आपत्ति है । आर्थिक सर्वेक्षण को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया।

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

आपात स्थिति के दौरान वर्ष 1975 में मैंने आर्थिक प्रगति के बारे में एक पुस्तक तैयार की थी जो समाचार-पत्रों के आधार पर तैयार की गई थी। पर सरकार ने उसकी सारी 5,000 प्रतियां जब्त कर लीं।

श्री सुब्रह्मण्यम् का कहना है कि मूल्यों में कमी हुई है। वस्तुतः कमी सितम्बर, 1974 से मार्च, 1976 के बीच में हुई।

वर्षा के समय पर होने से खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन हुआ। कहा गया है कि आपात स्थिति के कारण गाड़ियां ठीक समय से चलती रहीं। मैं समझता हूं कि यह दावा नहीं किया जा सकेगा कि देवताओं को भयभीत किया गया जिससे कि वर्षा समय पर हुई।

खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी आई। इन तेलों का अधिकांश उत्पादन गुजरात में होता है और वहां पर उस समय जनता मोर्चे की सरकार थी। इसलिये सरकार इसके श्रेय की पात्र नहीं है।

निस्सन्देह सरकार ने एयरकन्डीशनरों एवं टेलीविजन सेटों की कीमतें अवश्य कम की परन्तु इनसे गरीब आदमी का कोई वास्ता नहीं है।

थोक मूल्यों के सूचकांक के अनुसार एक वर्ष में मूल्यों में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 'इकोनामिक टाइम्स' द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार खुदरा मूल्यों में एक वर्ष में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 19 महीनों की अवधि में 10 महीने तक मूल्य घटे और 10 महीने मूल्यों में वृद्धि हुई। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि आपात स्थिति में मूल्यों में कमी आई।

बड़े-बड़े नेताओं ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रान्तिकारी बताया है। 19 महीने की अवधि में बेरोजगारी में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। 12 लाख औद्योगिक कर्मचारियों की छंटनी की गई। पहले तो बेरोजगारी के बारे में आंकड़े भी प्रकाशित नहीं किये जाते थे।

औद्योगिक विकास की बात भी की जाती है। परन्तु उन छोटे उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया जिनके 16,000 एकक बन्द हो गये हैं।

1975–76 की विकास दर 8 प्रतिशत बताई गई है तरन्तु 1976–77 के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वर्षा के समय पर न होने से विकास दर कम होकर 2 प्रतिशत रह गई है। इस बारे में कांग्रेस सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की है।

औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया गया है। परन्तु उत्पादन वृद्धि का लाभ क्या हुआ है ?

पहले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में हुई। इसका कारण इंगलैंड, कनेडा आदि में जातीय तनाव था। क्या यह सच नहीं है कि सितम्बर, 1976 के बाद विदेशों से धन आना कम हो गया ?

श्री ए० सी० जार्ज: फरवरी में 124 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आई और 18 मार्च, 1977 में 1419 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जमा थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। इतनी विदेशी मुद्रा का आप क्या कर रहे हैं। इतनी भारी विदेशी मुद्रा के उपयोग में न लाये जाने का क्या कारण है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह क्यों भूलते हैं कि '1966 के रुपये अवमूल्यन' के उत्तरदायी भी श्री सुब्रह्मण्यम थे । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बताया गया है कि रुपए का मूल्य बढ़ गया है । हम यह जानना चाहते हैं कि किस देश की मुद्रा की तुलना में रुपए का मूल्य बढ़ा है । यह सब बातें प्रचारमात्र और मिथ्या हैं । यदि डालर की तुलना में रुपए की कीमत पर विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि रुपए का अवमूल्यन ही हुआ है ।

उनके नेता ने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया । सदन को जानना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम कितना धोखा व जालसाजी थी । इस कार्यक्रम में यह कहा गया है कि सिंचाई क्षमता इतनी बढ़ा दी जायेगी जिससे 50 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके । लेकिन केवल 8 लाख हैक्टेयर अधिक भूमि की ही सिंचाई की गई ।

बिजली के उत्पादन में 2600 मैगावाट की वृद्धि का दावा किया गया था । परन्तु 1700 मैगावाट बिजली का ही अधिक उत्पादन किया जा सका । वित्त मंत्री महोदय 20 सूत्री कार्यक्रम के वास्तविक आंकड़े प्रकाशित करें ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडीचेरी) **:** मैं श्री मोराजी देसाई के मंत्रिमंडल का तथा विविध अनुभवों वाले वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल का स्वागत करता हूं ।

पिछली बार मैंने कहा था कि कागजी प्रगति दिखाई गई है । हम प्रगतिशील कदमों के लिए सरकार को समर्थन देते आये हैं । यह पहला अवसर है कि विरोधी पक्ष में इतने अधिक सदस्य हैं । पिछले 30 वर्षों में यह सर्वोत्कृष्ट संसद बनी है । यह अवसर भूतपूर्व सरकार की आलोचना करने का नहीं है । यह समय जनादेश को ध्यान में रख कर कार्य करने का है । यदि हम ऐसा नहीं करते तो जनता हमारे साथ भी वही व्यवहार करेगी जो उसने पिछली सरकार के साथ किया है । श्री एच० एम० पटेल ने अपने भाषण में सरकार के रचनात्मक कार्यक्रम एवं सरकार की बेरोजगारी के बारे में योजनाओं का उल्लेख नहीं किया है । हमारे महान देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए व्यापक प्रयत्नों की आवश्यकता है ।

जब सरकार यह कहती है कि नागरिक स्वतन्त्रता लौटाई जानी आवश्यक है तो मैं इससे सहमत हूं । लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं कि पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता निर्धन लोगों की कीमत पर दी जाए । हम केवल नारे लगाकर आर्थिक सुधार नहीं ला सकते । हमें रचनात्मक और ठोस कार्यक्रम देने होंगे जिससे जनता को विश्वास हो जाये और वह सरकार के कार्य में सहयोग दे ।

मैं प्रधान मंत्री को बधाई देते हुए उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि हमें वास्तव में जनता सरकार बनाने की आवश्यकता है । पिछली सरकार ने लोगों की समस्याओं के अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की ।

देश की जनता को रोटी, मकान और कपड़ा चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार ने बजट में किस कार्यक्रम का सुझाव दिया है ? क्या वित्त मत्री महोदय को यह साधारण सी बात करने में कि सरकार जनता के शासन में जनता की कैसे सहायता करेगी, इतना अधिक समय लगेगा ?

[श्री अरविन्द बाला पजनोर]

हमनें पिछली सरकार को जनहित कार्यों में सहयोग दिया था । हम वर्तमान सरकार को भी वैसा सहयोग देते रहेंगे । लोग आपकी नीति जानना चाहते हैं । क्या आप श्रमिकों को बोनस देंगे ? जब तक उन्हें धन नहीं दिया जाता उनकी क्रय शक्ति नहीं बनेगी ।

ग्रामीण लोग आज ऋणग्रस्त हैं । पिछली सरकार ने केवल निजी क्षेत्र को ऋण दिया । श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि ग्रामीण बैंकों का विस्तार किया गया है । परन्तु यह सभी बातें प्रचार मात्र के लिये हैं । पिछली सरकार पूंजीवादी सरकार थी इसलिए उसका पतन हुआ ।

मैं मानता हूं कि देश में कुछ प्रगति हुई है । परन्तु रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है कि मुद्रा-स्फीति बढ़ी है । इस समय 60 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं । इस बारे में सरकार क्या नीति अपना रही है । आप अपना कार्यक्रम जनता को बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शेष बातें कल करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई उद्घोषणा

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं जम्मू और काश्मीर के संविधान की धारा 92 के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1977 की उद्घोषणा संख्या पी-1/1977 की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1977 के जम्मू और काश्मीर सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल टी-13/77]

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

जम्मू और काश्मीर विधान सभा का भंग किया जाना

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अब स्थगित होती है ।"

देश अभी-अभी विश्व के महानतम निर्वाचन से निकल कर आया है । बेशक हमारी पार्टी का बहुमत समाप्त हो गया है परन्तु हमारा विश्वास भारतीय जनता के बारे में अडिग है ।

यह दु:खद बात है कि नई सरकार के सत्ता में आते ही महत्वपूर्ण सीमावर्ती जम्मू और काश्मीर राज्य में सभी लोकतन्त्रीय नियमों का अधिलंघन कर दिया गया है । मैं कह सकता हूं कि जम्मू और काश्मीर के बारे में की गई कार्यवाही से देश का नाम ऊंचा नहीं होता ।

1972 में आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और सैय्यद मीर कासिम के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी जो सुचारु रूप से कार्य कर रही थी । उस समय शेख अब्दुल्ला ने देश की राजनीतिक मुख्यधारा में वापस आने की इच्छा प्रकट की और कहा कि वह जनमत मोर्चे की बात छोड़ देंगे और इस

पद प्राप्ति को अन्तिम समझेंगे अतः देश की राजनीतिक परम्पराओं के अनुसार उनसे बातचीत की गई और अन्ततः एक राजनीतिक समझौता हुआ । कांग्रेस सरकार ने शेख का समर्थन करके राजनीतिक इतिहास में आत्मत्याग की मिसाल कायम की ।

समझौते की मुख्य बात यह थी कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रीय तथा देश भक्तिपूर्ण शक्तियां एक साथ हो जायें । क्या नेशनल कान्फ्रेंस जो कि जनमत मोर्चे को समाप्त नहीं कर पाई वह जनसाधारण के प्रति अपनी वितृष्णा और विद्वेष को समाप्त नहीं कर पाई । अतः स्थिति बदतर होती गई और यह स्पष्ट हो गया कि समझौते के अनुरुप कार्य नहीं हो रहा । वास्तव में तनाव बढ़ता गया । यदि हम शेख अब्दुल्ला का साथ देते रहते तो वह लोगों की आखों में धूल झोंकने के समान होता ।

अतः दल ने राज्यपाल को लिखा/शेख अब्दुल्ला का यह कत्तव्य था कि वह तुरन्त त्यागपत्र दे देते और राज्यपाल से कहते कि वह कांग्रेस को सरकार बनाने के लिये आंमन्त्रित करे ।

शेख अब्दुल्ला द्वारा सभा को भंग करने की सिफारिश किये जाने का कोई औचित्य नहीं था जबकि वह अच्छी तरह जानते थे कि कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है । इस अलोकतन्त्रीय कार्यवाही के कारण वह लोगों की नजरों में गिर जायेंगे । इसके बाद राज्यपाल ने क्या किया ? राज्यपाल को यह बताना चाहिये था कि उसके साथ सभा में केवल 3 सदस्य हैं जबकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है । सभा को भंग करने से पूर्व मुझे इस दल को सरकार बनाने के लिये बुलाना चाहिये । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । यदि उन्हें हमारे दावे के प्रति कुछ सन्देह था तो उन्हें हमसे मिलना चाहिये था । ऐसा करने के बजाये उन्होंने जम्मू वापस जाने के तीन घन्टे के भीतर सभा को भंग कर दिया ।

अब हमें बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 53 के अधीन राज्यपाल के लिये सभा को भंग करना आवश्यक था । जम्मू और काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 53 में यह उपबन्ध है कि राज्यपाल समय-समय पर सभा का अवसन या विधान सभा को भंग कर सकता है । परन्तु किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि मुख्य मन्त्री, जिसको सभा में 3 व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है, को ऐसी शक्ति प्राप्त है । राज्यपाल मन्त्रि परिषद् के परामर्श पर सभा को भंग करता है । इस मामले में राज्यपाल को मन्त्रिपरिषद् का परामर्श कहां था ? उससे परामर्श नहीं लिया गया । राज्यपाल के लिये मन्त्रिपरिषद् का परामर्श मानना भी आवश्यक नहीं है, जबकि वह जानते थे कि शेख अब्दुल्ला को सभा में केवल तीन सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस संसदीय दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है । अनुच्छेद 36 के अधीन उसे कांग्रेस दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित करना चाहिये था । उसने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि उसे सभा को इस तरह अलोकतन्त्री ढंग से भंग करने की कुछ विशेष हिदायतें थीं ।

अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत संवैधानिक मशीनरी के खराब हो जाने के कारण उन्होंने यह शक्ति हासिल कर ली । संवैधानिक मशीनरी कहां खराब हुई है ? मेरे विचार में यह खराब नहीं हुई है । वास्तव में उन्होंने ही राज्यपाल को सभा को भंग करने की सिफारिश करके संवैधानिक मशीनरी को तोड़ा है । अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत यदि संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है तो राज्यपाल शक्ति प्राप्त कर लेता है । राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की ? अब वहां पर कोई विधान सभा नहीं है । लोगों द्वारा इच्छा व्यक्त किये जाने का वहां पर कोई तरीका नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि न केवल संवैधानिक औचित्य और राजनैतिक दायित्व को ही दरकनार रखा गया है अपितु जम्मू और काश्मीर में

डा० कर्ण सिंह

इस सभा की प्रभुसत्ता को भी समाप्त कर दिया गया है। क्या जम्मू और काश्मीर भारत के अभिन्न अंग नहीं है ? क्या जम्मू और काश्मीर के लोगों को उसी प्रकार के लोकतन्त्री अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के अन्य भागों के लोगों को प्राप्त हैं ?

प्रधान मन्त्री जी ने पद सम्भालने के तुरन्त बाद यह कहा था कि यदि सरकार कोई गलत काम करती है तो जनता हमारे कान खींच सकती है। अब उनकी सरकार बनने के 48 घन्टे के भीतर हीं उन्होंने यह गलती की है। उन्होंने इस मामले पर ठीक तरह से विचार नहीं किया है। इस राजनैतिक धोखे में उनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ हैं और लोगों के कल्याण के प्रहरी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो गया है कि हम मामले को स्थगन प्रस्ताव के रूप में सभा में लायें।

Shri Madhu Limaye (Bauka): When we were in the opposition, we had always viewed the issue of Kashmir in a national perspective. Whenever it was raised in the House in the past, we considered that it was an issue not to be viewed from the party angle. We had openly supported the agreement between Sheikh Abdullah and the Prime Minister.

Reference has been made to the elections held in Jammu and Kashmir in 1972. I am of the opinion that elections held in Jammu and Kashmir did not reflect the true verdict of the people of the State because elections were not held there in a free atmosphere. The tenure of the Legislative Assembly elected in 1972 was five years. You had misused the provisions of the Constitution and extended the term of the Assembly as well as of the Lok Sabha merely to save the seat of only one person.

It is said that it appears very strange that the Assembly in Jammu and Kashmir was dissolved on the advice of a Chief Minister who had only three supporters in the Assembly. But the fact is that the Chief Minister who occupied an extraordinary position in the politics of the State was installed as Chief Minister in an extra-ordinary manner.

The question one should legitimately ask is as to why the Chief Minister was removed when the Assembly was dissolved. The position is that there was no other alternative because the State Budget had to be passed before the 31st March and that is why the Governor's rule had to be imposed.

I am confident that the Janata Party Government will try to hold the elections in Jammu and Kashmir as early as possible. Hence I appeal to the House to reject the adjournment motion.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुकी) : यह उद्घोषणा जम्मू और काश्मीर संविधान के अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत जारी की गई है। राज्य के संविधान का अनुच्छेद 92 हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुरूप है। हमारा संविधान जम्मू और काश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के 1956 के आदेश द्वारा लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत 1954 में जम्मू और काश्मीर राज्य पर यह आदेश लागू किया गया था। अतः इस आदेश के अनुसार भारत का समूचा संविधान जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू होता है। उस आदेश का अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 356 को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करता है। जब अनुच्छेद 356 जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू है, तो इस संसद् को जम्मू और काश्मीर के लोगों के लिये विधान बनाने, अनुदानों की स्वीकृति देने आदि का अधिकार प्राप्त है। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत आदेश की उद्घोषणा की स्वीकृति देने की सलाह क्यों दी ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। काश्मीर भारत का एक अंग है। काश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हो गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार को इस सदन को बताना होगा कि उन्होंने अनुच्छेद 356 के स्थान पर अनुच्छेद 92 को तरजीह क्यों दी और उन्होंने विधान बनाने के लिये श्री झा को संसद के स्थान पर क्यों तरजीह दी ? श्री मधु लिमये ने कहा है कि जब कोई सलाह दी जाती है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है ।

संवैधानिक वकील इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी विभाजित सभा में, विशेषकर जहां बहु-दलीय प्रणाली हो, कोई अल्पसंख्यक सरकार सभा को भंग नहीं कर सकती, यदि किसी विकल्प सरकार की संभावना हो ।

जम्मू और काश्मीर संविधान ने इस व्यवस्था को अस्वीकार किया है कि प्रधान मंत्री सलाह दे सकता है और प्रधान मंत्री का सलाह पर सभा का विघटन किया जा सकता है । अब प्रश्न यह है कि क्या सभा भंग करने की सिफारिश मंत्री परिषद ने की या मुख्य मंत्री ने । यदि जम्मू और काश्मीर संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार भी कार्यवाही की जाती है तो केवल मंत्रि-परिषद को ही सिफारिश को स्वीकार किया जा सकता है । यदि यह सलाह केवल श्री शेख अब्दुल्ला ने दी है तो यह बिना विधि आधार के है । जब वहां कोई वैकल्पिक सरकार संभव है तो फिर समझ में नहीं आता कि धारा 92 या अनुच्छेद 356 को किस तरह लागू किया गया है । वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार चल सकती है क्योंकि यह विवादास्पद नहीं है और प्रशासन चलाने के लिए वहां वैकल्पिक दल है जो कि कार्यभार लेने के लिए तैयार है । वहां संवैधानिक गतिरोध नहीं हुआ है ।

इस प्रकार एक खतरनाक संवैधानिक उदाहरण पेश किया जा रहा है । यह कदम सरकार के लिये शोभनीय नहीं है ।

श्री मधु लिमये ने कहा कि जम्मू काश्मीर के चुनावों मे गड़बड़ी की गयी है । यह कहना उचित नहीं है ।

श्री के० एस० हेगड़े (बंगलौर दक्षिण) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में प्रजातन्त्र के प्रति श्रद्धा पैदा हो गयी है क्योंकि गत 20 महीनों ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस के दिल में प्रजातन्त्र के लिए कोई श्रद्धा नहीं है ।

जो कुछ जम्मू तथा काश्मीर मे अब हुआ, कांग्रेस दल को याद रखना चाहिये कि वही कुछ इसकी सरकार ने तमिलनाडु में भी किया था । तमिलनाडु की सरकार अच्छी थी या बुरी इसका निर्णय वहां के लोगों को करना चाहिये था, केन्द्रीय सरकार को नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य : उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री के० एस० हेगड़े : अगर उन्होंने निर्णय दे दिया है तो भारत के लोगों ने भी निर्णय दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है ।

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम काश्मीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु के बारे में नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं । दोनों ही देश के भाग हैं ।

श्री के० एस० हेगड़े : भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री तथा शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अन्तर्गत कांग्रेस दल ने वहां का शासन शेख अब्दुल्ला को सौंप दिया था। शेख अब्दुल्ला ने स्थानीय बोर्ड चुनाव के लिये कई बार प्रयत्न किया किन्तु कांग्रेस दल बार बार बीच में बाधक बन बैठा क्योंकि वे जनता के समक्ष जाने से घबराते थे। इसलिये वे वहां चुनाव नहीं कराना चाहते थे।

1972 के चुनावों के बारे में शिकायतें की गईं और इसलिये चुनाव की बात न्यायोचित थी। कांग्रेस दल ने किस आधार पर शेख अब्दुल्ला तथा उसके दल को शासन सौंपा। यदि कांग्रेस दल वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करता था और उन्हें यह विश्वास था कि वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन्हें चाहिए था कि वे शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रशासन न सौंपते। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को काश्मीर का वास्तविक नेता स्वीकार किया और उसके दल को वहां की जनता का वास्तविक प्रतिनिधि माना। अब असली प्रश्न तो यह है कि जब शेख अब्दुल्ला ने वहां की विधान सभा के विघटन की मांग की तो क्या वह वहां की जनता की राय के अनुसार था। क्या संविधान मे कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार निर्वाचित दल ने किसी अन्य दल को सत्ता सौंपी हो ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी बातों की अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री के० एस० हेगड़े : जम्मू-काश्मीर के राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वहां के विधान मंडल में जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों का बहुमत नहीं है। उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना स्वाभाविक ही था। किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि वहां शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे और फिर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जायेगी।

श्री अब्दुल अहाद (बारामूला) : काश्मीर के संविधान के अनुसार मुख्य मंत्री ही राज्यपाल को सरकार के कार्यकरण के बारे मे परामर्श देता है। काश्मीर का सारा मामला राजनैतिक है। शेख अब्दुल्ला को वहां का शासन कांग्रेस दल तथा नेशनल कांफ्रेंस के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत सौंपा गया था। राज्यपाल के शासन से वहां लोकतंत्र की पुनः स्थापना होगी। वास्तव में काफी समय के बाद जम्मू और काश्मीर के लोगों को विधान सभों मे अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस को भी चुनाव लड़ने के लिये अपने प्रत्याशी खड़ा करने का अवसर मिलेगा।

जम्मू तथा काश्मीर में कांग्रेस, स्वयं विभाजित है। ऐसी स्थिति मे जब कि सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है,शेख अब्दुल्ला ने विधान सभा भंग करने तथा चुनाव कराने तथा चुनाव कराने की उचित सलाह दी है ताकि काश्मीर के लोगों को विधान सभा मे अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिल सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर): अध्यक्ष महोदय आपने इस स्थगन प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार करके अच्छा ही किया है क्योंकि 25 जून, 1975 से इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति के सभी माध्यम बंद कर दिये गये थे। हमने पहले कई बार यह देखा कि शासक दल अध्यक्ष की ओड़ लेकर इस प्रकार के वाद विवाद से बचता रहा। खैर यह ठीक है कि आपने अब वैसा नहीं होने दिया है।

प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब जनता का सामना करने से डरती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल ने जिस प्रक्रिया का पालन जम्मू-कश्मीर में किया है, वह न्यायोचित ही है तथा उसे स्वीकार कर वर्तमान सरकार ने कोई गलती नहीं की है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि कांग्रेस दल चुनावों में जनता का सामना करने से डरता है क्योंकि अब उन्हें यह डर है कि जनता उन्हें समर्थन नहीं देगी।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि कांग्रेस दल ने उस समय अपना समर्थन वापिस ले लिया जब उन्हें यह मालूम हो गया कि शेख अब्दुल्ला जनादेश प्राप्त करने के लिए वहां चुनाव करवाने वाले है। जैसे ही कांग्रेस को इसका पता चला उन्होंने अपने समर्थन वापिस ले लिया और उनकी सरकार को गिराना चाहा। परन्तु शेख एक योग्य राजनीतिज्ञ थे तथा उन्होंने समय पर ही स्थिति को संभाल लिया। शेख अब्दुल्ला ने जब कांग्रेस सरकार के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये।

जम्मू और कश्मीर के लोगों की यह मांग है कि वहां कांग्रेस सरकार को समाप्त कर, नये चुनाव करवाये जाये। कश्मीर विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तथा युवा कांग्रेस के अनेक नेताओं ने विधान सभा को भंग करने की मांग की है तथा राज्य में चुनाव करवाने का समर्थन किया है। अतः इन परिस्थितियों में मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag): I have heard with soft attention the speeches made by my friends but there was not much of content in them. Although Shri Madhu Limaye's speech was good in the beginning but he too has not replied many of the questions raised by Dr. Karan Singh in the opening remarks of his speech. The main question is not that what will happen in Kashmir. The main issue is what was our object behind the accord which we had with Sheikh Abdullah. We had taken a leaf out of Bangla Desh episode that no country can be kept united simply in the name of religion. Congress party had always given precedence to the interests of the Country over the interests of the party. This fact in evident from what has been done in Kashmir by Congress. It is a well known fact that Congress was a majority party in assembly of Jammu and Kashmir. But keeping in view the larger interests of the Country, we handed over the Government to Sheikh Abdullah and accepted him as our Chief Minister although he was not even a Member of Assembly. Two congress members resigned their seats and allowed him and his colleague Shri Afzal Beg to get elected from their constituencies. The circumstances prevailing at that time necessitated that the Communal elements be put under check and the state should get a clean and efficient administration. We had expected speedy development and progress under his stewardship. But our hopes have been belied. Therefore we withdrew our support from the Ministry. Sheikh had received power from Congress Party. It was th refore, only right and proper that he should have handed over the power to the Congress party only. But contrary to this, he advised the Governor to dissolve the House. It is therefore, an unconstitutional step on his part.

According to the present set up of Jammu and Kashmir Constitution, it has been made clear that Assembly could only be dissolved only under the advice of the Council of Ministers. The Governor of Jammu and Kashmir, Shri L. K. Jha has not indicated in his proclamation that it is being issued on the advice of Council of Ministers. There is not even a single word about the advice he got from the Council of Ministers.

I am sorry to point out that by the dissolution of Assembly the ruling party has taken an undemocratic step which is against the interest of the people in Kashmir. By working in an arbitrary way, the Government has deprived the people of their rights and injured the feelings of the people of the State. It is a murder of democracy in Kashmir....(*Interruptions*) .... It is a well known fact that Sheikh Abdullah is no longer the leader of Kashmir. There were number of demonstrations against him in the State against the manner in which, he compained, for the election of his wife to this House.

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

It is a well established practice that as and when a State is brought under President's rule, its budget is discussed in the Parliament but it is a strange thing that the budget of this state cannot be brought in this House. The fate of the State will be decided by bureaucrat. But I must warn the Government that the administration of the State cannot be run by bureaucracy and authoritarian rule, and its responsibility lies with the C·ntre.

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): Sir, things have changed completely. Those who used to oppose the introduction of any adjournment motion in the House are today in the position of moving such a motion and those who used to move such motions are in a position to reply them successfully.

It is a strange irony of fate that today my friends in the Congress Party are talking of democracy although they had made a mockery of the democracy while they were in power. May I know from them as to what was the justification of the imposition of President's rule in Tamil Nadu even when the D.M.K. was in majority there ? May I also know as to why the opposition was not allowed to form a Government under the leadership of Shri Biju Patnaik in Orissa by the Governor at the instance of the Centre ? I wonder how the Congress could oppose the Governor's rule in Jammu and Kashmir in the name of democracy when it had been done under the State's own Constitution. We while sitting in the opposition used to demand scrapping of the special status of Jammu and Kashmir but at that time these people used to turn a deaf ear to our demand. Now my Congress friends are forgetting the vital fact that all normal laws which are applicable to other States are not applicable to Jammu and Kashmir.

It was on 3rd March, 1975 that the then Prime Minister had praised Sheikh Abdullah's long record of service to the people. She had said that he became the foremost leader of the Kashmir people's fight against feudalism.

Now he is not a good man because he has refused to abide by the dictates of Congress Party. I want to know the reasons for withdrawing support to Sheikh when the country was about to go to the polls. In this way the Congress Party has stabbed him in the back. It was a move to create disturbances in the State. Why could the Sheikh be not trusted a few days more ?

The State of Jammu and Kashmir has a special position. One third of its area is under the occupation of Pakistan. All will agree that this question should not be viewed from the view point of party politics. It is a national question.

I want to appeal to the experienced leaders of Congress Party. They should not act in such a way that some national problems may raise their head.

Mr. Speaker, Sir, the only way to solve this problem is to give a chance to the people of the state to exercise their right of vote. There should be elections as early as possible there. We agree that no individual is indispensable. I understand the feeling behind this motion, but they should appreciate response of our leader also.

I would like that both parties in this House should sit together and evolve a solution so that the question of Kashmir is not exploited by out-side powers.

Before concluding my speech I want to refer to one point. When we were in the opposition we used to demand the abrogation of Article 370 of the constitution. Now the Governor's rule has been imposed there under that very Article. I want to make it clear that we will not make any change in Article 370 without prior approval of the people of the state.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह बात देश तथा लोकतन्त्र के हित में है कि देश में एक नया दल सत्ता में आया है। हमें प्रसन्नता होगी यदि जतना पार्टी देश में स्थिर और अच्छी सरकार दे सकें। हमारे दल के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वे सरकार के काम में बाधाएं खड़ी नहीं करेंगे। हम यह आशा भी करते हैं कि राज्य सरकारों को गिराने

का प्रयास भी नहीं किया जायेगा। क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रपति के आगामी चुनाव पर पड़ेगा। वैसे प्रधान मंत्री श्री देसाई ने इस सम्बन्ध में एक आश्वासन भी दिया है। जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा का भंग किया जाना एक ऐसी बात है जिसका औचित्य हमें समझ में नहीं आता। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने किस आधार पर विधान सभा को भंग किये जाने से सहमित व्यक्त की ? काश्मीर में 1950 से जितने चुनाव हुए हैं उन में गड़बड़ी होती रही है। क्या काश्मीर की पुर्नावृत्ति अन्य राज्यों में नहीं हो सकती ? हमें आगे के लिये कैसे भरोसा हो सकता है ?

[**श्री डी० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI D. N. TIWARI *in the Chair*]

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है। राज्यपाल को राष्ट्रपति से ऊपर मान लिया गया है। उचित यह है कि संसद राज्य का बजट पास करे। हमें प्रधान मंत्री में पूरा विश्वस है। परन्तु इस घटना से हमारा उनमें विश्वास—अर्थात् लोकतन्त्र में विश्वास कुछ कम हुआ है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं ने इस सम्बन्ध में डा० कर्ण सिंह और प्रतिपक्ष के नेता से बात की है और उनको तथ्यों से अवगत कराया है। वैसे यह विषय गृह मंत्री के अधीन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हमारी इस समय मुश्किल यह है कि हम उनके साथ सहमति व्यक्त कर रहे हैं परन्तु प्रतिपक्ष वाले सदस्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि बहुमत वाले दल की सरकार बननी चाहिये। यही लोकतन्त्र है। परन्तु इस क्षेत्र की विशेष स्थिति है समूचा देश चाहता है कि इस राज्य के सम्बन्ध में विशेष कार्यवाही की जाये। जब काश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार स्थापित की गई थी 45 सदस्यों को एक व्यक्ति के समान माना गया था। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं थीं ?

मैं नहीं मानता कि राज्य में 1972 में हुए चुनावों में गड़बड़ी हुई थी। फिर भी 1974 में ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया गया जो विधान सभा का सदस्य नहीं था। शेख अब्दुल्ला कांग्रेस दल में शामिल भी नहीं हुए और उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस को तोड़ा भी नहीं। हमारे कांग्रेस वाले मित्र इन बातों को स्वीकार क्यों नहीं करते ? कांग्रेस ने इस समूचे काम में बहुत गलत भूमिका निभायी।

शेख अब्दुल्ला और तब के प्रधान मंत्री के बीच समझौते के बल पर विधान सभा बनी रही। अब नये प्रधान मंत्री के साथ एक नये समझौते की आवश्यकता है। यह सब नये तथ्य हैं। सदन को इन बातों को ध्यान में रखना होगा।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया है और यह राष्ट्रपति की सहमति से किया गया है। राज्य के संविधान में यह उपबन्ध है कि राज्य का बजट राज्यपाल द्वारा पास किया जायेगा। यह एक ऐसी समस्या है जिस ने सुगमता से हल नहीं कर सकता। हमें राज्य के संविधान को भी ध्यान में रखना चाहिये। हमें देश के दक्षिणी और उत्तरी भाग को अलग नहीं मानना चाहिये और अनावश्यक विवाद खड़े नहीं करने चाहियें।

[प्रो श्याम नन्दन मिश्र]

हमारे नये प्रधान मंत्री ने बहुत लचीला रुख अपनाया है। मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष वाले भी ऐसी सहयोग की भावना दिखाकर समसया की वास्तविकता को समझेंगे। यह ठीक है कि वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया है परन्तु वहां का संविधान अलग होने के कारण वहां की स्थिति भिन्न है।

Shrimati Akbar Jahan Begum (Srinagar): Many things have been said by the Members from both sides. Sheikh Abdullah has firm faith in democracy, secularism and socialism. He made every effort to see that the State of Jammu and Kashmir marched ahead on the basis of these principles I am speaking here as a Member of this House and not as the wife of Sheikh Abdullah. Whatever I am going to say, may be against my friends in the opposition but these are the hard facts.

There was no unanimity among the Members of the Jammu and Kashmir. Assembly, which has been dissolved, recently. Some of them wanted to support Sheikh Sahib while others were against. But my election to the Lok Sabha is a sufficient proof of the fact that people of the state were mainly with us. The Congress, as a matter of fact, created such situations in the state that it became very difficult for Sheikh Sahib to run the Government according to the principles of democracy, secularism and socialism. The sort of house trading was going on in the state and in those circumstances no work of development and advancement was possible. So it was actually under such circumstances that Sheikh Abdullah advised the dissolution of the Assembly so that people of the state may get an opportunity to elect their representatives freely.

The Minister of Home Affairs (Chaudhury Charan Singh):There were a number of good speeches on this ordinary subject and there is hardly any need for me to add anything more to it. I am sure by this time Shri Chavan and Dr. Karan Singh must have been convinced by the fact that under the circumstances which prevailed in Jammu and Kashmir, the Governor was left with no choice but for imposing his rule under the Constitution of the state. The Governor had no legal alternative but to accept the advice of the Council of Ministers.

During the course of discussion it has also been asked as to why action was not taken under Article 356 of the Constitution. In this context I would like to state that if President's rule had been imposed in the State under article 356, it could have been continued for a period of two years. But now according to the State Constitution the limit of Governor's rule is only six months.

Since we are interested to hold elections at the earliest, we thought it more advisable to go by the advice of the Governor. We are quite keen to have elections within six months. So, to this, I feel my Congress friends, should not have many objection.

Besides this, the other facts of the case are that Chief Minister wrote a letter to the Governor on the morning of 26th March, 1977 recommending dissolution of the Assembly. The Congress Legislature Party decided to withdraw its support in the evening of 26th. Thus the Chief Minister had advised the dissolution before the Congress Party withdrew their support. According to Article 35(2) of the State Constitution the Governor was justified in acting on the advice of the Council of Ministers.

After this explanation, I think, there is hardly any reason for pressing the motion and I hope hon. Member will withdraw the same.

Dr. Karan Singh (Udhampur): In reply to the debate on this adjournment motion. I just want to reply some of the points raised by my friends. Firstly, Shri Madhu Limaye has stated that the elections held in Jammu and Kashmir in the past had not been fair. My submission in this regard is that it is wrong to say like that and moreover it will be against national interests to raise such points.

Shri Limaye has also said that Sheikh Sahib is an extraordinary person. It is correct to say that he holds a special status in the political scene of the state. But at the same time I may mention that State cannot be under the thumb of one person, however extra-ordinary he may be. If any individual had complete control over the State of Jammu and Kashmir, it was my father alone who wrote that state will merge with India. (*Interruptions*)........

During the course of discussion, reference was made to Article 356. It is not very logical and convincing that under that Article, President's rule would have continued for two years in the State. The rule could have lasted just for 3 months. That would have given Parliament the authority and opportunity to discuss the budget of the State alongwith other matters. But now that opportunity will not be available.

We have got an opportunity to express o r point of view on the state of affairs in the state and that fulfils our object of bringing forward this adjournment motion with these words, I do not want to press my motion and it may not be put to the vote of the House.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति है?

कुछ सदस्यः हां हां ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The motion was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविंद बाला पजनौर—आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 मार्च, 1977 9 चैत्र, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, the 30th March, 1977/ Chaitra 9, 1899 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III– 182 एल० एस० 30–4–77–200